सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–11

(वर्ष 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

संख्याः 187/XXIV-A-2/2024-14/2020(E-13490)

01
01/04/2024
DD [illegible]

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2024

विषयः पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-अर्थ-2/19861/5क(02)/17/2023-24 दिनांक 22.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0-09 पर अंकित विवरणानुसार पुनर्विनियोग करते हुए रू0 1,70,65,000/-(रू0 एक करोड़ सत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जाये।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है तथा धनराशि को पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नहीं रखा जाये।
3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
4. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाये।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/सूची तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपद/माहवार विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rule, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0-193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. जिन मदों से बी0एम0-09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी.एम.-08 पर शासन को प्रेषित की जाए।

8. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/019(150)/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.22 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जाये।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–84/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित् किया जाये।
11. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के अनुदान संख्या–11 के अधीन संलग्नक (बी0एम0–09) में उल्लिलिख लेखाशीर्षक के सम्बन्धित ब्यौरावार शीर्षक/सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन शासनादेश संख्याः 130/XXVII(8)/430/एक/2008 /20.. दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः I/202243/2024 दिनांक 27.03.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

सं0 ( )/XXIV-A-2/2023–14/2020(E-13490) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), कौलागढ़, उत्तरखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पूरन गिरि)
उप सचिव।

संख्याः 162 / XXIV-A-2/2023–14 / 2020(E-13490)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 16 मार्च, 2024

विषयः पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–अर्थ–2/17826/5क(02)/17/2023–24 दिनांक 17.02.2024 एवं सं0–अर्थ–2/18975/5क(02)/17/2023–24 दिनांक 12.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–09 पर अंकित विवरणानुसार पुनर्विनियोग करते हुए रू0 10,65,35,000/–(रू0 दस करोड़ पैंसठ लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जाये।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है तथा धनराशि को पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नहीं रखा जाये।
3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
4. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाये।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/सूची तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपद/माहवार विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rule, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. जिन मदों से बी0एम0–09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी.एम.–08 पर शासन को प्रेषित की जाए।

No. BES2-1/BBS21/2022-XXIV/2022-XXIV-A-2 (Basic Edu Department Computer No. 13490)
/2024
/46/2024

परिशिष्ट–1

प्रपत्र एम.बी.–9 (भाग–एक)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन
(वित्तीय वर्ष 2023–24)

अनुदान सं0 व नाम–11–शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
मुख्य शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा

(धनराशि हजार रुपये में)

निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित मदों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय छूट में)	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय छूट में)	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (8–11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2202–सामान्य शिक्षा 01–प्रारम्भिक–शिक्षा –102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 24–शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति						2202–सामान्य–शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0कि0 एवं के0जी/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–0702–सहायता प्राप्त जू0हा0कि0 एवं के0जी0/ नर्सरी विद्यालयों को सहायता					
42–अन्य विभागीय व्यय	1310400	106535	106535			05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	1250000	1356535	106535		
योग	1310400	106535	106535			योग	1250000	1356535	106535		

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।

संख्या: 162 दिनांक 16 मार्च, 2024

पुनर्विनियोग स्वीकृत

Signed by Amita Joshi
Date: 15-03-2024 18:44:39

सेवा में,
महालेखाकार (ए एंड ई)
उत्तराखण्ड, देहरादून

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम अमिता जोशी, अपर सचिव,
वित्त विभाग वित्त अनुभाग–3

सं0 ( )/ XXIV-A-2/2024–14/2020(E-13490) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
04. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
05. गार्ड फाइल।

Signed by Pooran Giri
Date: 16-03-2024 11:46:38

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम पूरन गिरि, उप सचिव
प्रशासनिक विभाग बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

सं0 158/XXIV-A-2/2024-25/2007/Vol-1(E-31850)

/199078/2024

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 | देहरादून, दिनांक 15 मार्च, 2024

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या-रा0प0का0/916/PM POSHAN/MDM-08/2023-24 दिनांक 26 फरवरी, 2024 एवं संयुक्त निदेशक, पी0एम0पोषण, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-रा0प0का0/954/PM POSHAN/MDM-08/2023-24 दिनांक 12 मार्च, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत कार्यरत 24,938 भोजनमाताओं के मानदेय हेतु रू0 7,32,49,800/-(रू0 सात करोड़ बत्तीस लाख उनपचास हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(i) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

(ii) स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जायेगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(iii) अग्रिम धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(v) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

(vi) व्यय में मितव्ययता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-111469/09(150)/2019XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0- I/87149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(viii) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

/198699/2024

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11, 30, एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट-1/2 में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट-1/2)।

भवदीय,
Signed by Madan Mohan Semwal
Date: 14-03-2024 13:43:07
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव

सं0 ( )/XXIV-A-2/2024-25/2007 टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 14-03-2024 16:23:13
(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

क्रमशः पृष्ठ सं.-3

File No. BES2-1/BES2/2024-XXIV-A-2/Basic Education Department Computer No. 67847

195353/2024

195353/2024

संख्या–105 /XXIV(1)-A-2/2024–46/2016(E-67847)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड(देहरादून)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 04 ~~फरवरी~~ मार्च 2024

विषयः पी0एम0 पोषण के सुदृढ़ीकरण हेतु राजकोष में जमा की गई खाद्यान्न के खाली बोरों की नीलामी से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अद्यतन वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा/पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा0प0का0/735/पी0एम0पोषण–9(अ)/2023–24 दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0 पोषण के सुदृढ़ीकरण हेतु राजकोष में जमा की गई खाद्यान्न के खाली बोरों की नीलामी से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष विभागीय प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–03–मध्याह्न भोजन योजना क सुदृढ़ीकरण–42–अन्य विभागीय व्यय मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **कुल रु0 10,00,000/– (रु0 दस लाख मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023, पी0एम0 पोषण योजना के सम्बन्ध में निर्गत विभिन्न अन्य शासनादेशों, अधिप्राप्ति नियमावली,2017, यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजना के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भगतान हेत प्रस्तत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के

2— अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जाये। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा मे दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023—24 में अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202— सामान्य शिक्षा—01—प्रारम्भिक शिक्षा—112— विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम—03—मध्याह्न भोजन योजना क सुदृढ़ीकरण—42—अन्य विभागीय व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0—111469/09(150)/2019XXVII (1)/2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0—I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022, द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः आवंटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath
Date: 01-03-2024 19:39:14

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या— ( )/XXIV(1)-A-2/2024—46/2016 (E-64847) तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 04-03-2024 14:03:34

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

संख्या–69 /XXIV(1)-A-2 /2023–14 / 2020 टी०सी०

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

श्री सकलानी
11/3/2024

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 13 मार्च, 2024

विषयः–वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजनान्तर्गत धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–अर्थ/14483/5क(02)/14/2023–24 दिनांक 15.12.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 20–विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के मानक मद 56–सहायता अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि **रू0 11,50,00,000/–(रू0 ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र)** को अवमुक्त कर, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए, व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण/व्यय में निदेशक, प्रा0शि0 द्वारा प्रथम अनुपूरक की स्वीकृतिया निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश I/155181/2023 दिनांक 18–09–2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. व्यय करने से पूर्व यथास्थिति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (यथासंशोधित), 2017 के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
6. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
7. आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।
8. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
9. व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को

संख्या:– 84 /XXIV-A-2/2024-05/2013T.C(E-49698)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 14 फरवरी, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(सी) के अन्तर्गत प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–अर्थ–2/16222/5क(02)/12/2023–24 दिनांक 18 जनवरी, 2024 एवं अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–रा.प.का./2720/RTE-Reimb-PCE/2023–24 दिनांक 01.02.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(C) के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या–11, 30, 31 में **संलग्न परिशिष्ट–01** में उल्लिखित विवरणानुसार कुल धनराशि **रू0 1,54,34,15,545/– (रूपये एक अरब चौव्वन करोड़ चौंतीस लाख पन्द्रह हजार पांच सौ पैंतालीस मात्र)** अवमुक्त कर, निम्नवत् शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय/आहरण में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/ 2019 XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लाभार्थियों के व्यापक सत्यापन के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जायें।
3. व्यय करने से पूर्व यथा स्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
6. आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायें।
7. मितव्ययता के संबंध जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनदेशों का विशेष रूप से अनुपान किया जायेगा।
8. विभाग द्वारा 03 माह के भीतर भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।
9. व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाये।
10. Eligible छात्रों को ही इस योजना से लाभान्वित करने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए प्रतिवर्ष एक Certain Percentage छात्रों का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक कक्षा में भौतिक सत्यापन (random

verification) कियो जायेगा तथा इसके परिणाम से प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को अवगत कराया जायेगा।

11. प्री–प्राइमरी के बारे में नीतिगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा भारत सरकार से जो प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है उसको ट्रेजरी में जमा करते हुए पूर्व में समायोजित धनराशि की पुष्टि भी सुनिश्चित की जाए।
12. उपरोक्त के अतिरिक्त अनुदान सं0–30 एवं 31 के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्राविधानित उद्देश्यों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु ही किया जायेगा। साथ अनुसूचित एवं जनजाति वर्ग के बच्चों की प्रतिपूर्ति 31.03.2024 से पूर्व कर ली जाए।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा की संलग्न परिशिष्ट–01 में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः 1/190331/2024 दिनांक 14.02.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः आवंटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath
Date: 14-02-2024 16:56:44

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः– /XXIV-A-2/2024-05/2013T.C(E-49698) तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य कोषाधिकरी/कोषाधिकरी देहरादून।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकार, उत्तराखण्ड (निदेशक, प्रा0शि0 के माध्यम से)
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पूरन गिरि)
उप सचिव

परिशिष्ट–01

शासनादेश सं0– 84 /XXIV-A-2/2024-05/2013T.C(E-49698) दिनांक 14 फरवरी, 2024 का संलग्नक

(धनराशि रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2023–24 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
11	2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 24–शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	1,31,04,00,000	1,20,38,64,125
30	2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 03–शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	31,00,00,000	27,78,14,798
31	2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 02– शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	7,00,00,000	6,17,36,622
		1,69,04,00,000	1,54,34,15,545

(रू0 एक अरब चौव्वन करोड़ चौंतीस लाख पन्द्रह हजार पांच सौ पैंतालीस मात्र)

Signed by Pooran Giri
Date: 14-02-2024 17:03:56
(पूरन गिरि)
उप सचिव

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 14/02/2024 05:27 PM

संo 24 / XXIV-A-2/2024–25 / 2007 T.C

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24 जनवरी, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 में पीoएमo पोषण योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, पीoएमo पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–राoपoकाo / 818–19 / PM Poshan-08(Budget) / 2023–24 दिनांक 11 जनवरी, 2024 एवं अवर सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–17-9/2023-PMP-1-1(EE.5) दिनांक 10.01.2024 एवं शोध अधिकारी, वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के सम्बन्ध में की गयी पुष्टि के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के केन्द्रांश की धनराशि ₹ 31,56,28,000/–(रूo इकतीस करोड़ छप्पन लाख अट्ठाईस हजार मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि ₹ 3,14,49,000/– (रूo तीन करोड़ चौदह लाख उनचास हजार मात्र) इस प्रकार **कुल धनराशि ₹ 34,70,77,000/–(रूo चौंतीस करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार मात्र) संलग्न परिशिष्ट–1/2** में उल्लिखित विवरणानुसार एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संo 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संo–469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

क्रमशः पृष्ठ सं.–2...

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30, एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1/2 मे उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1/2)।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 22-01-2024 18:05:55

(रविनाथ रामन)
सचिव

सं0 ( )/XXIV-A-2/2024–25/2007 T.C तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. महालेखाकार उत्तराखण, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Pooran Giri
Date: 23-01-2024 11:33:09

(पूरन गिरि)
उप सचिव

क्रमशः पृष्ठ सं.–3....

परिशिष्ट–1 / केन्द्रांश

शासनादेश सं0–24 / XXIV-A-2/2024–25 / 2007 T.C दिनांक 24 जनवरी, 2024 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राविधानित केन्द्रांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	10072.84	3771.42	2302.51
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	3333.22	1248.00	761.92
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	401.81	150.45	91.85
	कुल योग केन्द्रांश(अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	13807.87	5169.87	3156.28

(रू0 इक्तीस करोड़ छप्पन लाख अट्ठाईस हजार मात्र)

क्रमशः पृष्ठ सं.–4....

परिशिष्ट–2 / राज्यांश

शासनादेश सं0– 24 / XXIV-A-2/2024–25 / 2007 T.C दिनांक 24 जनवरी, 2024 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राविधानित राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90:10)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	952.51	380.20	229.42
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(10%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	315.19	125.82	75.92
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	38.00	15.16	9.15
	कुल योग राज्यांश (अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	1305.70	521.18	314.49

(रू0 तीन करोड़ चौदह लाख उनचास हजार मात्र)

(पूरन गिरि)
उप सचिव

BES2-1/102/1/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department

178895/2024

संख्याः 14 / XXIV-A-2/2023-14 / 2020(E-13490)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 08 ~~दिसम्बर, 2023~~ जनवरी, 2024

विषयः पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-अर्थ-2/11441/5क(02)/17/2023-24 दिनांक 09.10.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0-09 पर अंकित विवरणानुसार पुनर्विनियोग करते हुए रू0 7,00,000/-(रू0 सात लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जाये।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है तथा धनराशि को पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नहीं रखा जाये।
3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
4. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाये।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/सूची तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपद/माहवार विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rule, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेख नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0-193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. जिन मदों से बी0एम0-09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है उन मदो में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी.एम.-08 पर शासन को प्रेषित की जाए।
8. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-111459/019(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0-I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जाये।

). स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–84/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित् किया जाये।

11. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के अनुदान संख्या–11 के अधीन संलग्नक (बी0एम0–09) में उल्लिलिख लेखाशीर्षक के सम्बन्धित ब्यौरावार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन शासनादेश संख्याः 130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः I/177047/2023 दिनांक 21.12.2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त।

Signed by Raman Ravinath
Date: 01-01-2024 18:52:07

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

सं0 ( )/XXIV-A-2/2023–14/2020(E-13490) तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), कौलागढ, उत्तरखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पूरन गिरि)
उप सचिव।

BES2-1/102/1/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department

BES2-1/102/1/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department

06/2021

प्रपत्र—बी0एम0—8(भाग—एक)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन
पुनर्विनियोग—(2023—24)

अनुदान सं0 व नाम—11—शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
मुख्य शीर्षक—2202—सामान्य शिक्षा

(धनराशि हजार रुपये में)

निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा मत आपत्ति		निम्नलिखित को प्रस्तावित अंतरण			वित्त विभाग द्वारा मत आपत्ति।		
लेखाशीर्षक(13 अंकीय कूट में) आयोजनेत्तर	आवंटन की तिथि या स्वीकृत अनुदान/विनियोग	आवंटन की तिथि तक वास्तविक व्यय	अवशेष की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक(13 अंकीय कूट में) आयोजनेत्तर	स्वीकृत वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वर्ष के दौरान प्रस्तावित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि	अंतरण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2202—सामान्य—शिक्षा —01—प्रारम्भिक शिक्षा —001— निदेशन तथा प्रशासन—03— निदेशालय का अधिष्ठान—00 —निदेशालय अधिष्ठान						2202—सामान्य—शिक्षा —01—प्रारम्भिक शिक्षा —001— निदेशन तथा प्रशासन—03— निदेशालय अधिष्ठान—00 —निदेशालय अधिष्ठान					
27—व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000	300	200	200	800	58—[illegible]	450	850	200	200	650
28—कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	800	800	800	300	100	42—मशीन उपकरण साज सज्जा एवं संयंत्र	100	800	500	500	600
योग—	1800	1100	700	700	900	योग—	550	1350	700	700	1250

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों, सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन,
संख्या:— (म0)/XXVII-3/2023-(E-13490)
देहरादून, दिनांक: दिसम्बर, 2023

पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड देहरादून।

Signed by Amita Joshi
Date: 21-12-2023 17:55:57

(अमिता जोशी)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या: 14/XXIV—A—2/2023—14/2020 (E—13490) तद्दिनांकित।
निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित:—
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पूरन गिरि)
उप सचिव

संख्या 13 / XXIV-A-2/23-25 / 2007 / Vol-1(E-31850)

79456/2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 08 जनवरी, 2024

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0 का0/727/PM POSHAN/MDM-08/2023–24 दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत अतिरिक्त पोषण हेतु रू0 कार्यरत् भोजनमाता (24938) के मानदेय हेतु रू0 14,96,28,000/–(रू0 चौदह करोड़ छियानबे लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(i) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

(ii) स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(iii) अग्रिम धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(v) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

(vi) व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0– I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(viii) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(ix) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

Generated from eOffice by PINKI, RO-PINKI, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 08/01/2024 10:12 AM

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजनमाताओं हेतु वर्दी / मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय मद नामे डाला जाये।

3. उपरोक्त स्वीकृति / बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 130/XXVII(6) / 430 / एक / 2008 / 2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर / अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

4. यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक 178531 / 2023 दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम मे जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 03-01-2024 14:41:55

(रविनाथ रामन)
सचिव।

सं0 ( )/XXIV-A-2/23–25 / 2007 / Vol-1(E-31850)तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Pooran Giri
Date: 05-01-2024 11:35:06
(पूरन गिरि)
उप सचिव।

erated from eOffice by PINKI, RO-PINKI, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 08/01/2024 10:17 AM

No. BES2-1/[illegible]/2023-XXIV(1)-A-2-Basic Education Department (Computer No. 52779)
175173/2023

संख्या– 800 / XXIV(1)-A-2 / 2023–14 / 2020 टी०सी०

175173/2023

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

उप निदेशक
894
20/12/23

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के कार्मिकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–अर्थ–2 / 13350 / 5क(02) / 05 / 2023–24 दिनांक 28.11.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन के भुगतान हेतु रु0 31,25,00,000/– (रु0 इक्कतीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी। वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

(4) व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469 / 09(150) / 2019 / XXVII(1) / 2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0–I / 67149 / 2022 दिनांक 29.09.2023 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों / आदेशों / वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

(5) विभिन्न मदों में व्ययभार / देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाए।

(6) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

(7) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों / आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

क्रमशः.......2

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 16/12/2023 11:48 AM

(8) स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(9) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

(10) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाये।

(11) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रुप से अनुपालन किया जाये।

(12) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाये।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखानुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202-01-प्रारम्भिक शिक्षा-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-07-विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता-07-02-सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता-05-वेतन, भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

3. उपरोक्त स्वीकृत/बजट आवंटन शासनादेश संख्या 130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः 1/174436/2023 दिनांक 12.12.2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नकः यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by Madan Mohan
(एम०एम० सेमवाल)
Date: 14-12-2023 16:21:52
अपर सचिव।

संख्या- / ( )/XXIV(1)-A-2/2023-14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Pooran Giri
Date: 14-12-2023 16:36:34
(पूरन गिरि)
उप सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 16/12/2023 11:46 AM

सं0 766/XXIV-A-2/23-25/2007 Vol-1

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 20 नवम्बर, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023-24 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत प्रथम किश्त का अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-रा0प0का0/650/एम0डी0एम0-08(बजट)/2023-24 दिनांक 16 नवम्बर, 2023 एवं अवर सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-17-9/2023-PMP-1-1(EE.5) दिनांक 14.11.2023 एवं वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 15.11.2023 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के सम्बन्ध में की गयी पुष्टि के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11, 30 एवं 31 के केन्द्रांश की धनराशि ₹ 25,84,94,000/-(रू0 पच्चीस करोड़ चौरासी लाख चौरानबे हजार मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि ₹ 2,60,59,000/- (रू0 दो करोड़ साठ लाख उनसठ हजार मात्र) इस प्रकार **कुल धनराशि ₹ 28,45,53,000/-(रू0 अट्ठाईस करोड़, पैंतालीस लाख तिरेपन हजार मात्र) संलग्न परिशिष्ट-1/2** में उल्लिखित विवरणानुसार एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 एवं शासनादेश सं0-469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

क्रमशः पृष्ठ सं0-2....

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 30/11/2023 05:36 PM

/169709/2023

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30, एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न **परिशिष्ट–1/2** में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1/2)।</u>

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 20-11-2023 11:54:28

(रविनाथ रामन)
सचिव

<u>सं0 ( )/XXIV-A-2/23–25/2007 Vol-1तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार उत्तराखण, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0एस0 बोरा)
संयुक्त सचिव।

क्रमशः पृष्ठ सं–3...

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 20/11/2023 05:36 PM

परिशिष्ट–1/केन्द्रांश

शासनादेश सं0– 766 / XXIV-A-2/23–25/2007 Vol-1 दिनांक 20 नवम्बर, 2023 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राविधानित केन्द्रांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	10072.84	1885.71	1885.71
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	3333.22	624.00	624.00
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	401.81	75.22	75.23
	कुल योग केन्द्रांश(अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	13807.87	2584.93	2584.94

(रू0 पच्चीस करोड़ चौरासी लाख चौरानबे हजार मात्र)

क्रमशः पृष्ठ सं.–4....

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 20/11/2023 05:26 PM

परिशिष्ट–2 / राज्यांश

शासनादेश सं0– 766 / XXIV-A-2/23–25 / 2007 Vol-1 दिनांक 20 नवम्बर 2023 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राविधानित राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90:10)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	952.51	190.10	190.10
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(10%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	315.19	61.91	62.91
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	38.00	7.58	7.58
	कुल योग राज्यांश (अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	1305.70	260.59	260.59

(रू0 दो करोड़ साठ लाख उनसठ हजार मात्र)

Signed by Bhupendra Singh Bora
Date: 20-11-2023 15:22:07
(बी0एस0 बोरा)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-HH, REVIEW OFFICER, Basic Education-Department on 30/11/2023 05:28 PM

BES2-1/101/16/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(1)

सं0 725/XXIV-A-2/23-25/2007/Vol-1(E-31850)

1/16/37/2023 प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 02 नवम्बर, 2023

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत अतिरिक्त पोषण, भोजनमाता प्रोत्साहन एवं भोजनमाता वर्दी हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–पी0एम0 पोषण/572/08/वार्षिक कार्य0 बजट/2023–24 दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत अतिरिक्त पोषण हेतु रू0 6,04,20,000/–(रू0 छः करोड़ चार लाख बीस हजार मात्र), भोजनमाता प्रोत्साहन हेतु रू0 1,83,68,000/–(रू0 एक करोड़ तिरासी लाख अड़सठ हजार मात्र) एवं भोजनमाता वर्दी हेतु रू0 2,44,13,000/–(रू0 दो करोड़ चौवालीस लाख तेरह हजार मात्र) अर्थात् **कुल रू0 10,32,01,000/–(रू0 दस करोड़ बत्तीस लाख एक हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
3. वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
5. व्यय की मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019 XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. विभन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

क्रमशः पृष्ठ सं0–2....

संख्या- 642/XXIV(1)-A-2/2023-14/2020 टी०सी०

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक: 03 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत निदेशालय अधिष्ठान योजना प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-अर्थ-2/9894/5क(02)/01/2023-24, दिनांक 13.09.2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-11 के अधीन लेखाशीर्षक-2202-01-प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत निदेशालय अधिष्ठान सम्बन्धी विभिन्न मदों में प्रावधानित धनराशि रु0 11,00,000/-के सापेक्ष **संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित विवरण/मदानुसार** कुल धनराशि **रु0 5,00,000/- (रु0 पांच लाख मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-111469, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) मानक मद-01-वेतन, 03-मंहगाई भत्ता एवं 06-अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट-1** में उल्लिखित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः.......2

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 03/10/2023 02:07 PM

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469 / 019(150)2019 / XXVII(1) / 2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1)।

Signed by Raman Ravinath
Date: 01-10-2023 13:44:02

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ( ) / XXIV(1)-A-2 / 2023–14 / 2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

क्रमशः......3

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 03/10/2023 02:07 PM

-3-

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्या–642 /XXIV(1)-A-2 /2023–14 / 2020 दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 का संलग्नक

(धनराशि रू0 हजार में)

अनुदान संख्या–11(राजस्व)				
लेखा शीर्षक	योजना का नाम एवं मानक मदें	वित्तीय वर्ष 2023–24 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रस्तावित धनावंटन
2202–	सामान्य शिक्षा			
01–	प्रारम्भिक शिक्षा			
001–	निदेशन तथा प्रशासन			
03–	निदेशालय अधिष्ठान			
	24 विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	200	0	50
	29 गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	900	450	450
	योग, 03	1100	450	500
	योग	1100	450	500

(रूपये पांच लाख मात्र)

Signed by Rajendra Singh Bonal
(राजेन्द्र सिंह बोनाल)
अनु सचिव।
Date: 03-10-2023 11:11:11

enerated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 03/10/2023 02:07 PM

सं0 630/XXIV-A-2/23-25/2007/Vol-1(E-31850)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2   देहरादून, दिनांक 26 सितम्बर, 2023

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0का0/488/MDM–08(Budget)/2023–24 दिनांक 11 सितम्बर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत कार्यरत 24,938 भोजनमाताओं के मानदेय हेतु रू0 19,95,04,000/–(रू0 उन्नीस करोड़ पिचानबे लाख चार हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) स्वीकृत धनराशि को उसी प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। धनराशि का अन्य मदों में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय तथा मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेश अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019 XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 एवं शासनादेश सं0–469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत शासनादेशा/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाये।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाये।

क्रमशः पृष्ठ सं.–2....

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 26/09/2023 01:45 PM

सं0 618 /XXIV-A-2/23–25/2007 Vol-I

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 20 सितम्बर, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत प्रथम किश्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या– रा0प0का0/502/एम0डी0एम0–08(बजट)/2023–24 दिनांक 15 सितम्बर, 2023 एवं अवर सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–17-9/2023-PMP-1-1(EE.5) दिनांक 14.09.2023 एवं वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–18 सितम्बर, 2023 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के सम्बन्ध में की गयी पुष्टि के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के केन्द्रांश की धनराशि ₹ 25,84,93,000/–(रू0 पच्चीस करोड़ चौरासी लाख तिरानबे हजार मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि ₹ 2,60,59,000/– (रू0 दो करोड़ साठ लाख उनसठ हजार मात्र) इस प्रकार **कुल धनराशि ₹ 28,45,52,000/–(रू0 अट्ठाईस करोड़, पैंतालीस लाख बावन हजार मात्र) संलग्न परिशिष्ट–1/2** में उल्लिखित विवरणानुसार एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 एवं शासनादेश सं0–469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

क्रमशः पृष्ठ सं.–2....

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 20/09/2023 05:42 PM

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30, एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1/2 में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/xxvii(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1/2)।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 20-09-2023 14:06:05

(रविनाथ रामन)
सचिव

सं0 ( )/XXIV-A-2/23–25/2007 Vol-I तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 20-09-2023 15:19:46

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

क्रमशः पृष्ठ सं.–3....

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 20/09/2023 05:42 PM

संख्या– 611 /XXIV(1)-A-2/2023–14/2020 टीसी0

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 18 सितम्बर, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–2/8628/5क(02)/05/2023–24, दिनांक 21.08.2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन के भुगतान हेतु मांगी गई धनराशि रू0 62,50,00,000/–(रू0 बासठ करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष वर्तमान में रू0 31,25,00,000/–(रू0 इकत्तीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाये।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(9) अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा तथा आहरण व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

क्रमांक:........2

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 18/09/2023 03:28 PM

-2-

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखाअनुदान आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–07 02–सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–05–वेतन, भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक: 153577 दिनांक 12 सितम्बर, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक: यथोक्त</u>

Signed by Raman Ravinath
Date: 15-09-2023 14:27:09

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2/2023–14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Rajendra Singh
Bonal
Date: 15-09-2023 17:35:26
(राजेन्द्र सिंह बोनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 18/09/2023 03:28 PM

E-No. BES2-8/BES248/2022/XXIV-A-2/Basic Education Department-Computer No. 518
/368/2023
147348/2023

सं0 523/XXIV-A-2/2023-26/2007/Vol-1(E-51835)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 18 अगस्त, 2023

विषयः मुख्यमंत्री अमृत आँचल योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या-रा0प0का0/253/एम0डी0एम0-60/2023-24 दिनांक 05 जुलाई, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-02-मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय-42-अन्य विभागीय व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 75.00 करोड़ के सापेक्ष मुख्यमंत्री अमृत आँचल योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि **रू0 8,72,06,000/-(रू0 आठ करोड़ बहत्तर लाख छः हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0 111469/09(150) 2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 एवं शासनादेश सं0-469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

क्रमशः पृष्ठ सं0-2...

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/ मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड सं0–I/145654/2023 दिनांक 10 अगस्त, 2023 के द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0)।

Signed by Raman Ravinath
Date: 17-08-2023 18:29:16

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव

सं0 523 (1)/XXIV-2-2/23–25/2007/Vol-1(E-51823) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 18-08-2023 12:43:34

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BES2-1/BES2-8/2021-26/XIV-A-2/2023-E-Basic Education Department (Computer No. 21284)
संख्या– 579/XXIV-A-2/23-55/2021(E-21284)
146340/2023
146340/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 16 अगस्त, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/6944/आंगणन शासन/2023–24 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **परिशिष्ट–1 पर संलग्न विवरणानुसार जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यों** हेतु कार्यदायी संस्था गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणनों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में 53–वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 10.00 करोड़ (रू0 दस करोड़) में से उक्त कार्यों की औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ **93,13,000/–(रू0 तिरानवे लाख तेरह हजार मात्र)** को अवमुक्त कर, निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

2. कार्य करने से पूर्व समस्त निमयानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

3. उक्त निर्माण कार्य नियमानुसार निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाये तथा नियमानुसार विशिष्टिओं/मानकों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

4. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमिता स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होगी।

5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदशों तथा शिक्षा विभाग के निर्धारित मानकों का भी पालन किया जाय।

6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए, नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

7. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019 XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....2

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 16/08/2023 03:24 PM

46340/2023

8. उक्त धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि प्रस्तुत योजनाओं का औचित्य व आंगणन की लागत की उपयुक्तता इत्यादि को सुनिश्चित करने का दायित्व प्र०वि० का होगा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण-53-वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड सं0-145650/2023 दिनांक 10 अगस्त, 2023 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक: आवंटन आई0डी0।</u>

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 14-08-2023 13:44:10

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:- ( )/XXIV-A-2/23-55/2021(E-21284), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 16-08-2023 11:05:52

(राजेन्द्र सिंह बोनाल)
अनु सचिव।

क्रमश:......3

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 16/08/2023 03:26 PM

परिशिष्ट–1

शासनादेश सं0– 518/XXIV-A-2/23-55/2021(E-21284), दिनांक 16 अगस्त, 2023 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	स्वीकृत धनराशि
1.	अगस्त्यमुनि	रा.उ.प्रा.वि. बाडव	भवन पुनर्निर्माण	47.09
2.	अगस्त्यमुनि	रा.उ.प्रा.वि. जलई	भवन पुनर्निर्माण	46.04
			योग	93.13

(रू0 तिरानवे लाख तेरह हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 16/08/2023 03:26 PM

संख्या– 516 /XXIV-A-2/23-41/20

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड (देहरादून)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 11 अगस्त, 2023

विषय:– जनपद अल्मोड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तल्ला बिनौला के भवन पुनर्निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र सं0–नियोजन(04)/7891/उ0प्र0पत्र/2023–24, दिनांक 08.08.2023 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तल्ला बिनौला के भवन पुनर्निर्माण कार्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 करोड़/–(रू0 दस करोड़) में से उक्त विद्यालय भवन के चालू निर्माण की कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष **कुल धनराशि रू0 21,97,200/–(रू0 इक्कीस लाख सत्तानवे हजार दो सौ मात्र)** कार्य की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0–855/ XXIV/2021-41/2021 दिनांक 14.03.202022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/ वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमवली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक <u>31–3–2024</u> तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक <u>31–3–2024</u> तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण–53–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 एवं शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:– आंवटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath
Date: 11-08-2023 12:42:48

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

क्रमश:.....2

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 11/08/2023 03:17 PM

संख्या– ( ) / XXIV-A-2 /23-41/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 11-08-2023 13:55:26

(राजेन्द्र सिंह बोनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 11/08/2023 03:17 PM

परिशिष्ट-1

शासनादेश संख्या- 491 /XXIV(1)-A-2/2023-22/2012 दिनांक 03 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2023 का संलग्नक

(धनराशि रू० में)

योजना का विवरण (लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-108-अध्यापक और अन्य सेवायें-02-एजूकेशन पोर्टल योजना)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	2,00,000	2,00,000
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,00,000	10,00,000
40-मशीन सज्जा, उपकरण और संयंत्र	25,000	25,000
योग	12,25,000	12,25,000

(रूपये बारह लाख पच्चीस हजार मात्र)

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 03-08-2023 12:40:48

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 03/08/2023 04:04 PM

संख्याः– 409/XXIV-A-2/2023-92/2019 (E-22744)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 27 जुलाई, 2023

विषयः जनपद ऊधमसिंह नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गूलरभोज, गदरपुर के भवन मरम्मत कार्य हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र सं0–नियोजन(04)/6039/उ0प्र0पत्र/2023–24 दिनांक 03.07.2023 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल ऊधमसिंह नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गूलरभोज, गदरपुर के भवन मरम्मत कार्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 करोड़/–(रू0 दस करोड़) में से उक्त विद्यालय भवन मरम्मत कार्य की कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि 9,47,000/–(रू0 नौ लाख सैंतालीस हजार मात्र) में से **कुल धनराशि रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख मात्र)** कार्य की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0–595/XXIV-A-2/2020–92/2019 दिनांक 01.12.2020 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखें जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03– प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, के शासनादेश सं0–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 एवं शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0)।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 25-07-2023 18:21:43

(रविनाथ रामन)
सचिव।

क्रमशः.....2

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 27/07/2023 12:02 PM

—2—

सं0 ( )/ XXIV-A-2/2023-92 / 2019 (E-22744) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
04. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 28-07-2023 14:21:49

(राजेन्द्र सिंह बोनाल)

अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 27/07/2023 12:02 PM

संख्या– 396 / XXIV(1)-A-2 /23–14 / 2020 टी0सी0(E-52772)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

D.D. अर्थ
(6) यथा निर्दिष्ट तत्काल
अग्रेतर कार्यवाही

410
22/7

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 14 जुलाई, 2023**

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनओं में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–नियोजन(04) / 3694–96 / बजट / 2023–24 दिनांक 27.05. 2023 एवं पत्रांक–नियोजन(04) / 5642 / फर्नीचर / 2023–24 दिनांक 28.06.2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट–1** में उल्लिखित योजनाओं / मदों के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि **रू0 41,45,00,000 / –(रू0 इक्तालिस करोड़ पैंतालिस लाख मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों / आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।
(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
(8) मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।
(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट–1** में उल्लिखित ब्यौरेवार शीर्षक / सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

क्रमशः.....2

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-111469/019(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट-1)।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 10-07-2023 18:08:11

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या- ( )/XXIV(1)-A-2 /2023-14/2020टी0सी0(E-52772) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

क्रमशः.....3

परिशिष्ट-1

शासनादेश संख्या- 396 / XXIV(1)-A-2 /2023-14 / 2020(E-52772) दिनांक 14 जुलाई, 2023 का संलग्नक

(धनराशि हजार में)

अनुदान संख्या-11 (राजस्व)			
लेखा शीर्षक	योजना का नाम एवं मानक मदें	वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
2202-	सामान्य शिक्षा		
01-	प्रारम्भिक शिक्षा		
101-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
08-	विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल		
	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000	1000
	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	1500	1500
	51-अनुरक्षण	2000	2000
	योग	4500	4500
101-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
12-	प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास		
	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	60000	60000
	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	200000	200000
	51-अनुरक्षण	150000	150000
	योग	410000	410000
	महायोग	414500	414500

(रूपये इक्तालिस करोड़ पैंतालिस लाख मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Secondery Education(S043)

HOD-Director Elementary Education(4514)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -011

आवंटन आई डी-S23070110020
आवंटन पत्र दिनांक-14-JUL-2023

लेखा शीर्षक	2202-सामान्य शिक्षा	01-प्रारम्भिक शिक्षा
	101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय	08-विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल
	00-	Voted

2	2	0	2	0	1	1	0	1	0	8	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	1000000	0	1000000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	1500000	0	1500000
51-अनुरक्षण	0	2000000	0	2000000
योग	0	4500000	0	4500000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.45,00,000 (Rupees Forty Five Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(राजेन्द्र [illegible])
अनु सचिव
[illegible]

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Secondery Education(S043)

HOD-Director Elementary Education(4514)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -011

आवंटन आई डी-S23070110021
आवंटन पत्र दिनांक-14-JUL-2023

लेखा शीर्षक	2202-सामान्य शिक्षा	01-प्रारम्भिक शिक्षा
	101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय	12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास
	00--	Voted

2	2	0	2	0	1	1	0	1	1	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	60000000	0	60000000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	200000000	0	200000000
51-अनुरक्षण	0	150000000	0	150000000
योग	0	410000000	0	410000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.41,00,00,000 (Rupees Forty One Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(राजेन्द्र सिंह [illegible])
अनु सचिव
बेसिक शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

संख्याः-400/XXIV-A-2/2023-28/2021 (E-58109)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 06 जुलाई, 2023

विषयः जनपद नैनीताल के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्यों हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र सं0-नियोजन(04)/5316/उ0प्र0पत्र/2023-24 दिनांक 24.06.2023 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल के विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,00,000/-(रू0 दस करोड) में से **संलग्न परिशिष्ट-1** में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष अवशेष **कुल धनराशि रु0 6,56,600/- (रु0 छः लाख छप्पन हजार छः सौ मात्र)** कार्यों की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0-539/XXIV-A-2/2021-28/2021 दिनांक 17.11.2021 एवं शासनादेश सं0-406/XXIV-A-2/2022-88/2019 दिनांक 22.09.2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण-53-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, के शासनादेश सं0-111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 एवं शासनादेश सं0-I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0)।

Signed by Raman Ravinath
Date: 05-07-2023 12:37:14

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

क्रमशः......2

परिशिष्ट-1

शासनादेश सं0-404/XXIV-A-2/2023-28/2021 (E-58109) दिनांक 06 जुलाई, 2023 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि
शासनादेश सं0-539, दिनांक 17.09.2021 एवं सं0-406, दिनांक 22.09.2022 द्वारा स्वीकृत कार्य:-					
1.	रा0प्रा0वि0 हरिपुर गांगू, हल्द्वानी	एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	8.37	6.696	1.674
2.	रा0प्रा0वि0 हरकपुर ज्वीरा, हल्द्वानी	एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	12.23	9.784	2.446
3.	रा0प्रा0वि0 रामणी आन सिंह, हल्द्वानी	एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	12.23	9.784	2.446
		योग	32.83	26.264	6.566

(रु0 छः लाख छप्पन हजार छः सौ मात्र)

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 06-07-2023 18:11:24
(राजेन्द्र सिंह बोनाल)
अनु सचिव।

BES2-1/102/1/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department

संख्या– 370/XXIV(1)-A-2/2023–14/2020 टी0सी0

1/130180/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 21 जून, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–नियोजन(04)/3694–96/बजट/2023–24 दिनांक 27.05.2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट–1** में उल्लिखित योजनाओं/मदों के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि **रू0 36,51,50,000/–(रू0 छत्तीस करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।
(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
(8) मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।
(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट–1** में उल्लिखित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः.....2

0180/2023

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/019(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1)।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 14-06-2023 18:06:14

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2 /2023–14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

परिशिष्ट-1

शासनादेश संख्या- 370 /XXIV(1)-A-2/2023-14/2020 दिनांक 21 जून 2023 का संलग्नक

(धनराशि रू0 हजार में)

अनुदान संख्या-11(राजस्व)

लेखा शीर्षक	योजना का नाम एवं मानक मदें	वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
2202-	सामान्य शिक्षा		
01-	प्रारम्भिक शिक्षा		
101-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
07-	खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन		
	42-अन्य विभागीय व्यय	10000	10000
	योग	10000	10000
101-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
08-	विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल		
	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	3000	3000
	26-उपयोगिता बिलों का भुगतान	10650	10650
	42-अन्य विभागीय व्यय	1500	1500
	योग	15150	15150
101-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
13-	कक्षा-1 से 8 तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था		
	44-सामग्री एवं सम्पूर्ति	250000	250000
	योग	250000	250000
102-	अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता		
20-	विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण		
	56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	90000	90000
	योग	90000	90000
	महायोग	365150	365150

(रूपये छत्तीस करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

I/125533/2023

सं0 281 / XXIV-A-2/2023-25 / 2007 / Vol-1(E-21046)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक 29 मई, 2023**

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों मदरसों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–पी0एम0पोषण / 84 / अ0पो0–02A(बजट)2023–24 दिनांक 01 मई, 2023 एवं संख्या–पी0एम0 पोषण / 144 / 02A(बजट)2023–24 दिनांक 09 मई, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों मदरसों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु संगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 75.00 करोड़ के सापेक्ष **अतिरिक्त पोषण हेतु रू0 6,04,20,200/–मात्र (रू0 छः करोड़ चार लाख बीस हजार दो सौ मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार / राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0 111469 / 09(150)2019 / XXVII(1) / 2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 एवं शासनादेश सं0–469 / 2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश / सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों / आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42– अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड सं0–।/124633/2023, दिनांक 24 मई, 2023 के द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath
Date: 27-05-2023 15:26:12

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव

सं0 —( )/2023–25/2007/Vol-1(E-21046) तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

सं0 289 XXIV-A-2/2023-25 / 2007 / Vol-1(E-31850)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 29 मई, 2023

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0 का0/83/एम0डी0एम0–08(बजट)/2023–24 दिनांक 01 मई, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत कार्यरत 24,938 भोजनमाताओं के मानदेय हेतु अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 75.00 करोड़ के सापेक्ष **रू0 13,71,13,000/–(रू0 तेरह करोड़ इकहत्तर लाख तेरह हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 एवं शासनादेश सं0–469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

I/125532/2023 2— अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42– अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड सं0–I/124634/2023 दिनांक 24 मई, 2023 के द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath
Date: 27-05-2023 15:24:56

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव

सं0 ( )/ /XXIV-A-2/2022–18/2019टी0सी0 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. महालेखाकार उत्तराखण, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

संख्या– 256 / XXIV(1)-A-2 / 2023–14 / 2020 टी0सी0

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 21 अप्रैल, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायत प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–अर्थ–2 /300/5क(02)/01/2023–24, दिनांक 06 अप्रैल, 2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–07 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–05–वेतन भत्तें आदि के लिए सहायक अनुदान मदान्तर्गत प्रावधानित धनराशि रु0 1,25,00,00,000/– के सापेक्ष **रु0 62,50,00,000/– (रु0 बासठ करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 21/04/2

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(10) अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा तथा आहरण व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखाअनुदान आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–07 02–सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–05–वेतन, भत्तें आदि के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड सं0:–I/116158/2023 दिनांक 20 अप्रैल, 2023 में प्राप्त, उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath
Date: 21-04-2023 15:32:45

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2 /2023–14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड़, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 21/04/2

संख्या–227/XXIV(1)-A-2/2023–14/2020 टी0सी0

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 11 अप्रैल, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–अर्थ–2/ 299 5क(02)/01/2023–24, दिनांक 06 अप्रैल, 2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी विभिन्न मदों में प्रावधानित धनराशि रु0 33,20,70,25,000/–के सापेक्ष **संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विवरण/मदानुसार** कुल धनराशि रु0 **33,20,60,35,000/– (रु0 तैंतीस अरब बीस करोड़ साठ लाख पैंतीस हजार मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469, दिनांक 31.03.2023 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।
(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
(8) मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।
(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट–1** उल्लिखित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/019(150)2019/XXVII(1)/202.., दिनांक 31 मार्च, 2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1)।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 10-04-2023 17:42:55

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– 227 ()/XXIV(1)-A-2 /2023–14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 11-04-2023 10:51:47

(राजेन्द्र सिंह बोनाल)
अनु सचिव।

2

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 11/04/2023

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्या– 227 /XXIV(1)-A-2 /2023–14/2020 दिनांक 11 अप्रैल, 2023 का संलग्नक

(धनराशि रु0 हजार में)

अनुदान संख्या–11(राजस्व)			
लेखा शीर्षक	योजना का नाम एवं मानक मदें।	वित्तीय वर्ष 2023–24 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
2202–	सामान्य शिक्षा		
01–	प्रारम्भिक शिक्षा		
001–	निदेशन तथा प्रशासन		
03,	निदेशालय अधिष्ठान		
	01 वेतन	37300	37300
	02 मजदूरी	50	50
	03 महंगाई भत्ता	17900	17900
	04 यात्रा भत्ता	300	300
	06 अन्य भत्ते	4500	4500
	07 मानदेय	50	50
	08 पारिश्रमिक	450	450
	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	300	300
	22 कार्यालय व्यय	300	300
	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	400	400
	26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण	300	300
	27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000	500
	29 गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	900	450
	30 आतिथ्य व्यय	75	35
	40 मशीन उपकरण सज्जा एवं संयत्र	100	100
	42 अन्य विभागीय व्यय	300	300
	योग–03	64225	63235
	योग–001	64225	63235
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
04,	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय		
	01 वेतन	20110900	20110900
	03 महंगाई भत्ता	9653300	9653300
	04 यात्रा भत्ता	400	400
	06 अन्य भत्ते	2413400	2413400
	09 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	23000	23000
	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	1425	1425
	22 कार्यालय व्यय	1000	1000
	23 किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	500	500
	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	100000	100000
	27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2000	2000
	42 अन्य विभागीय व्यय	475	475
	योग– 04	32306400	32306400
	योग–101	32306400	32306400
102	अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहा0		
14–	सहायता प्राप्त उ0मा0 विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग	100000	100000

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -SCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 11/04/2

1/113551/2023

योग—14	100000	100000
18—शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान		
08 पारिश्रमिक	116400	116400
योग—08	116400	116400
योग—18	116400	116400
योग—102	216400	216400
104—निरीक्षण		
03—क्षेत्रीय निरीक्षण		
01 वेतन	102700	102700
03 महंगाई भत्ता	49300	49300
04 यात्रा भत्ता	750	750
06 अन्य भत्ते	12400	12400
20 लेखन सामग्री एवं छपाई	750	750
21 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	750	750
22 कार्यालय व्यय	1500	1500
24 विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	1500	1500
25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	800	800
26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण	750	750
27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000	1000
29 गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	1500	1500
योग—03	173700	173700
05—विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना		
01 वेतन	269000	269000
03 महंगाई भत्ता	129200	129200
04 यात्रा भत्ता	2375	2375
06 अन्य भत्ते	32300	32300
20 लेखन सामग्री एवं छपाई	1900	1900
21 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2000	2000
22 कार्यालय व्यय	1900	1900
23 किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	500	500
25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	2375	2375
26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण	2250	2250
27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2500	2500
योग 05	446300	446300
योग 104	620000	620000
महायोग (प्रारम्भिक शिक्षा)	33207025	33206035

(रूपये तैंतीस अरब बीस करोड़ साठ लाख पैंतीस हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

4

संख्या– 209/XXIV(1)-A-2/23-13/2023(E-51249)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 29 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022–23 में 52–लघु निर्माण मदान्तर्गत धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/24471/बजट शौचालय/2022–23 दिनांक 27.03.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विभिन्न राजकीय प्राथमिक/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयो में शौचालयों के निर्माण सम्बन्धी कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति सहित उक्त कार्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय– 52–लघु निर्माण मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,00,000/– में से कुल धनराशि रू0 7,12,000/–(रू0 सात लाख बारह हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1. संलग्न सूची के अनुसार स्वीकृत कार्यों में ऐसे शौचालय, जिनके पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य के लिए विगत पाँच वर्षो में धनराशि अवमुक्त की गयी हो अथवा किसी अन्य मद से प्राप्त हुई हो, के लिए धनराशि कदापि अवमुक्त नहीं की जाय। यद्यपि शौचालय के दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त होने की दशा में कार्य का स्थलीय परीक्षण/सत्यापन कराते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी।
2. वित्त नियंत्रक द्वारा जनपद स्तर पर यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि उक्तानुसार स्वीकृत किये जाने रहे कार्यों के सापेक्ष किसी अन्य मद से धनराशि प्राप्त होने की स्थिति में धनावंटन न किया जाय।
3. कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा राज्य परियोजना निदेशक/ अपर परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा कार्यो की देख रेख हेतु अपने स्तर से समग्र शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत् अभियन्ताओं को निर्देशित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा तत्सम्बन्धी रिपोर्ट निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के न्यूनतम पाँच फोटोग्राफ्स, जिनमें शौचालय के अन्दर एवं बाहर की स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो, अनिवार्य रुप से एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किय जायेगें तथा कार्य समाप्ति की उपरान्त भी पाँच स्पष्ट फोटोग्राफ्स पुनः एजुकेशन पोर्टल पर अनिवार्य रुप से अपलोड किये जायेगें।
5. कार्य की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही लागत की औचित्यपूर्ण धनराशि ही अवमुक्त की जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर निर्धारित मानकों के अनुसार सक्षम स्तर के अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह अनिवार्य रुप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्य की स्वीकृति में किसी प्रकार की डुप्लिकेसी न हो।
6. कार्य पर मदवार स्वीकृत आगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
7. कार्य करने से पूर्व समस्त नियमानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मद्दनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 29/03/202

8. उक्त निर्माण कार्य में नियमानुसार निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाये तथा नियमानुसार विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
9. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता स्वीकार किये जाने योग्य नही होगी।
10. प्रकरण में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–391/09(150) 2019/xxvii(1)/2022 दिनांक 24.06.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/ वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण (उपयोगिता प्रमाण एवं कार्य की पूर्व एवं कार्य के उपरान्त की स्थिति सम्बन्धी स्पष्ट फोटोग्राफ्स सहित) शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय **संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विवरणानुसार** चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय–52–लघु निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0– 391/09(150)2019/xxvii(1)/2022 दिनांक 24.06.2022 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः–परिशिष्ट–1/आंवटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath
Date: 29-03-2023 13:44:59

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

<u>संख्याः 269 ( )/XXIV-A-2/23-13/2023(E-51249) तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, प्रा0 शि0, उत्तराखण्ड।
5. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. राज्य परियोजना निदेशक/अपर परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0) द्वारा निदेशक, प्रा0 शि0, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बैनाल)
अनु सचिव।

परिशिष्ट–1

I/11069/2023

I/11069/2023

शासनादेश सं0–209/XXIV(1)-A-2 /23-13/2023(E-51249) दिनांक 29 मार्च, 2023 का संलग्नक

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	विद्यालय का नाम	प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक	विकास खण्ड का नाम	छात्र संख्या	अवमुक्त की जा रही धनराशि (प्रति शौचालय)
1	चमोली	रा0उ0प्रा0वि0 जेलमपासी	उच्च प्राथमिक	जोशीमठ	30	1,78,000/-
2	चमोली	रा0प्रा0वि0 आगर	प्राथमिक	नारायणबगड़	29	1,78,000/-
3	पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 खतेड़	प्राथमिक	मूनाकोट	29	1,78,000/-
4	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 सतराली	प्राथमिक	ताकुला	12	1,78,000/-
					योग	7,12,000/-

(रु0 सात लाख बारह हजार मात्र)

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 29-03-2023 16:44:08

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 1 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 29-01/202

संख्या– 306 /XXIV(1)-A-2/2023–25/2007 Vol-I

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड(देहरादून)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 29 मार्च, 2023

विषयः मुख्यमंत्री अमृत ऑचल योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फोर्टिफाइड मीठा सुगंन्धित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा0प0का0/1042/एम.डी.एम.–60(टी0सी0)/2022–23 दिनांक 20 मार्च, 2023 एवं पत्र सं0–पी0एम0 पोषण/1048/2(सी)/मिल्क/2022–23 दिनांक 23 मार्च, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112– विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02– मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय– 42–अन्य विभागीय व्यय मद में प्राविधानित के सापेक्ष मुख्यमंत्री अमृत ऑचल योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फोर्टिफाइड मीठा सुगंन्धित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्यांश की 50 प्रतिशत देयता हेतु **रू0 2,62,18,000/–(रू0 दो करोड़ बासठ लाख अट्ठारह हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391/09(150) 2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजना के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 29/03/20

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड सं0–I/110243/2023 दिनांक 27 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath
Date: 28-03-2023 17:30:43

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2/2023–25/2007 Vol-I तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -SCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 28/03/202

परिशिष्ट-1

शासनादेश सं0- 196 ( )/XXIV(1)/2023-05/2013T-C, दिनांक 27 मार्च, 2023 का संलग्नक

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
11	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 24-शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	1,31,04,00,000	1,06,78,80,168
30	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 03-शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	30,24,00,000	24,64,33,885
31	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 02-शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	6,72,00,000	5,47,63,085
	योग	1,68,00,00,000	1,36,90,77,138

(रूपये एक अरब छतीस करोड़ नब्बे लाख सततहत्तर हजार एक सौ अड़तीस मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

संख्याः–189/XXIV-A-2/2023–12/2023(E-50972)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में 52–लघु निर्माण मदान्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र सं0–नियोजन(04)/23816/आंगणन शा./2022–23 दिनांक 14.03.2023 एवं सं0–नियोजन(04)/23304/आंगणन शा./2022–23 दिनांक 04.03.2023 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत** विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के मरम्मत कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड द्वारा तैयार/टी0ए0सी0 के परीक्षणोंपरान्त प्रस्तुत आंगणनों के सापेक्ष उक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति सहित वित्तीय वर्ष 2022–23 में 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय–52–लघु निर्माण मद मे प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,00,000/–(रू0 पांच करोड़) में से कार्यदायी संस्था द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त आंगणन में वर्णित औचित्यपूर्ण धनराशि/कुल लागत रू0 49,62,000/–(रू0 उनचास लाख बासठ हजार मात्र) **परिशिष्ट–1 पर संलग्न** विवरणानुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
2. कार्य करने से पूर्व समस्त नियमानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
3. उक्त निर्माण कार्य नियमानुसार निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाये तथा नियमानुसार विशिष्टिओं/मानकों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
4. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होगी।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/xiv-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदशों तथा शिक्षा विभाग के निर्धारित मानकों का भी पालन किया जाय।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए, नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
7. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–391/09/(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022, शासनादेश सं0– I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....2

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 24/03/2

8. उक्त धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि प्रस्तुत योजनाओं का औचित्य, आंगणन की लागत की उपयुक्तता इत्यादि को सुनिश्चित करने का दायित्व प्र0वि0 का होगा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–04–राजकीय प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक विद्यालय–52–लघु निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः–परिशिष्ट–1/आंवटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 24-03-2023 14:29:20

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः ( )/XXIV-A-2/23-13/2023(E-50972) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्यकोषाधिकारी/वरिष्ठकोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),पिथौरागढ़ द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

क्रमशः.....3

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 24/03/202

23

परिशिष्ट–1

शासनादेश सं0– 189 /XXIV-A-2/2023–12/2023(E-50972), दिनांक 24 मार्च, 2023 का संलग्नक

अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक– 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय–52–लघु निर्माण मदान्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.स.	विद्यालय का नाम	जनपद	कार्य	लागत (रू0 में)
1	रा.उ.प्रा.वि.काकड़धानी	पिथौरागढ़	मरम्मत कार्य (मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0–1542/2021)	7,74,000
2	रा.प्रा.वि. बुर्सेल	पिथौरागढ़		13,27,000
3	रा.प्रा.वि. राममन्दिर	पिथौरागढ़		13,68,000
4	रा.उ.प्रा.वि. चौना	पिथौरागढ़		14,93,000
			योग	49,62,000

(रू0 उनचास लाख बासठ हजार मात्र)

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 24-03-2023 ...
(राजेन्द्र सिंह बोनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 24/03/20

संख्या– 167 /XXIV(1)-A-2 /23-13/2023(E-51249)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक:24 मार्च, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में 52–लघु निर्माण मदान्तर्गत धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/23817/बजट/2022–23 दिनांक 14.03.2023 एवं पत्र सं0– नियोजन(04)/24240/लघु निर्माण/2022–23 दिनांक 23.03.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/आदर्श प्राथमिक/आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शौचालय विहीन एवं शौचालयों के पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति सहित उक्त कार्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय– 52–लघु निर्माण मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,00,000/– में से धनराशि रू0 3,59,44,000/–(रू0 तीन करोड़ उनसठ लाख चौवालीस हजार मात्र) एवं लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01– प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–08–विकासखण्ड स्तर पर माडल स्कूल–52–लघु निर्माण मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,000/– में से धनराशि रू0 14,24,000/–(रू0 चौदह लाख चौबीस हजार मात्र), इस प्रकार **कुल धनराशि रू0 3,73,68,000/–(रू0 तीन करोड़ तिहत्तर लाख अड़सठ हजार मात्र) संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विवरणानुसार** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. संलग्न सूची के अनुसार स्वीकृत कार्यों में ऐसे शौचालय, जिनके पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य के लिए विगत पॉच वर्षो में धनराशि अवमुक्त की गयी हो अथवा किसी अन्य मद से प्राप्त हुई हो, के लिए धनराशि कदापि अवमुक्त ना की जाय। यद्यपि शौचालय के दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त होने की दशा में कार्य का स्थलीय परीक्षण/सत्यापन कराते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी।
2. वित्त नियंत्रक द्वारा जनपद स्तर पर यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि उक्तानुसार स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सापेक्ष किसी अन्य मद से धनराशि प्राप्त होने की स्थिति में धनावंटन न किया जाय।
3. कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा राज्य परियोजना निदेशक/ अपर परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा कार्यों की देख रेख हेतु अपने स्तर से समग्र शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत् अभियन्ताओं को निर्देशित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा तत्सम्बन्धी रिपोर्ट निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के न्यूनतम पॉच फोटोग्राफ्स, जिनमें शौचालय के अन्दर एवं बाहर की स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो, अनिवार्य रुप से एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किए जायेगें तथा कार्य समाप्ति की उपरान्त भी पॉच स्पष्ट फोटोग्राफ्स पुनः एजुकेशन पोर्टल पर अनिवार्य रुप से अपलोड किये जायेगें।
5. कार्य की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही लागत की औचित्यपूर्ण धनराशि ही अवमुक्त की जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर निर्धारित मानको के अनुसार सक्षम स्तर के अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह अनिवार्य रुप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्य की स्वीकृति में किसी प्रकार की डुप्लिकेसी न हो।
6. कार्य पर मदवार स्वीकृत आगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7. कार्य करने से पूर्व समस्त नियमानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्माण कार्य को स करना सुनिश्चित करें।
8. उक्त निर्माण कार्य में नियमानुसार निर्माण सामग्री को उपयोग मे लाने से पूर्व सामग्री का परीक्ष प्रयोगशाला मे अवश्य करा लिया जाये तथा नियमानुसार विशिष्टियों/मानको के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग मे लायी जाये।
9. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमिता स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होगी।
10. प्रकरण में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-391/09(150) 2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/ वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमवली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण (उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य की पूर्व एवं कार्य के उपरान्त की स्थिति सम्बन्धी स्पष्ट फोटोग्राफ्स सहित) शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय **संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित विवरणानुसार** चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अधीन लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय-04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय-52-लघु निर्माण एवं 08-विकासखण्ड स्तर पर माडल स्कूल-52-लघु निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:-परिशिष्ट-1/आंवटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath
Date: 24-03-2023 15:52:07

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

<u>संख्याः ( )/XXIV-A-2/23-13/2023(E-51249) तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, प्रा0 शि0, उत्तराखण्ड।
5. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. राज्य परियोजना निदेशक/अपर परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0) द्वारा निदेशक, प्रा0 शि0, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

परिशिष्ट–1

शासनादेश सं0–163 /XXIV(1)-A-2 /23-13/2023(E-51249) दिनांक 24 मार्च, 2023 का संलग्नक

अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक– 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय–52–लघु निर्माण मदान्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र0सं0	जनपद का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय की छात्र संख्या	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 अमडण्ड मल्ला	प्राथमिक	ओखलकाण्डा	52	178000.00
2	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 सुनडियाडाम–2	प्राथमिक	रामनगर	77	152000.00
3	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 कारगिल पटरानी	प्राथमिक	रामनगर	69	152000.00
4	नैनीताल	रा0उ0प्रा0वि0 कुमुनखार	उच्च प्राथमिक	रामनगर	45	152000.00
5	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 देवीचौड	प्राथमिक	रामनगर	71	152000.00
6	नैनीताल	रा0उ0प्रा0वि0 सुन्दरखाल	उच्च प्राथमिक	रामनगर	36	152000.00
7	नैनीताल	रा0उ0प्रा0वि0 मोतीमहल	उच्च प्राथमिक	रामनगर	37	152000.00
8	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 भगवानपुर धुनी नं02	प्राथमिक	हल्द्वानी	75	152000.00
9	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 कठघरिया	प्राथमिक	हल्द्वानी	183	152000.00
10	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 रेलवे लालकुआं	प्राथमिक	हल्द्वानी	176	152000.00
11	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 धोड़ानाला	प्राथमिक	हल्द्वानी	48	152000.00
12	नैनीताल	रा0प्रा0वि0हाथीखाल	प्राथमिक	हल्द्वानी	138	152000.00
13	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 कमलुवागांजा	प्राथमिक	हल्द्वानी	79	152000.00
14	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 देवपुर कुरियागांव	प्राथमिक	हल्द्वानी	107	152000.00
15	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 लालकुआं ग्राम	प्राथमिक	हल्द्वानी	278	152000.00
16	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 बोरगलिया	प्राथमिक	हल्द्वानी	56	152000.00
17	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 हरिपुर तिवोला	प्राथमिक	हल्द्वानी	38	152000.00
18	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 नयागांव लछमपुर	प्राथमिक	हल्द्वानी	79	152000.00
19	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 नवाड़खेड़ा कालोनी	प्राथमिक	हल्द्वानी	151	152000.00
20	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 गंगापुर	प्राथमिक	हल्द्वानी	45	152000.00
21	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 लदफोड़ा प्राचीन	प्राथमिक	धारी	39	178000.00
22	नैनीताल	रा0प्रा0वि0 सरना	प्राथमिक	धारी	95	178000.00
23	पौड़ी	स्यूसी	प्राथमिक	बीरोंखाल	20	178000.00
24	पौड़ी	बगेड़ा	प्राथमिक	पोखड़ा	18	178000.00
25	देहरादून	रा0प्रा0वि0 भारूवालाग्रांट	प्राथमिक	रायपुर	132	152000.00
26	देहरादून	रा0प्रा0 वि0 धुलकोट	प्राथमिक	सहसपुर	108	152000.00
27	बागेश्वर	रा.उ.प्रा.वि मदहुगा	उच्च प्राथमिक	कपकोट	15	178000.00
28	बागेश्वर	रा0प्रा0वि0जालेख	प्राथमिक	कपकोट	12	178000.00
29	बागेश्वर	प्रा0वि–तोली	प्राथमिक	कपकोट	18	178000.00

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 24/03/2

30	बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 मन्तोला	प्राथमिक	कपकोट	17	17800
31	बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 तिलाड़ी	प्राथमिक	कपकोट	32	178000.
32	बागेश्वर	रा.प्रा.वि.कानेकान्याल	प्राथमिक	बागेश्वर	32	178000.00
33	बागेश्वर	रा.प्रा.वि.बाजीरौट	प्राथमिक	बागेश्वर	13	178000.00
34	बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 दारसिंग	प्राथमिक	कपकोट	17	178000.00
35	बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 गौरीउडियार	प्राथमिक	बागेश्वर	12	178000.00
36	बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 पोंकड	प्राथमिक	कपकोट	12	178000.00
37	बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 सुनटी	प्राथमिक	कपकोट	13	178000.00
38	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 बसौली	प्राथमिक	धौलादेवी	32	178000.00
39	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 बिरकोला	प्राथमिक	धौलादेवी	34	178000.00
40	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 चौड़ा	प्राथमिक	धौलादेवी	21	178000.00
41	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 कुमडगलाण	प्राथमिक	धौलादेवी	26	178000.00
42	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 रंगोड़ी	प्राथमिक	धौलादेवी	31	178000.00
43	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 चमरौलीवानारी	प्राथमिक	धौलादेवी	25	178000.00
44	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 चमुंवा	प्राथमिक	धौलादेवी	35	178000.00
45	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 चौसाला	प्राथमिक	धौलादेवी	43	178000.00
46	अल्मोड़ा	रा0जू0हा0 बिरकोला	उच्च प्राथमिक	धौलादेवी	32	178000.00
47	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 मंगचौड़ा	प्राथमिक	ताड़ीखेत	23	178000.00
48	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 जैनाली	प्राथमिक	ताड़ीखेत	27	178000.00
49	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 खीड़ा	प्राथमिक	चौखुटिया	61	178000.00
50	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 कुलसीबी	प्राथमिक	द्वाराहाट	71	178000.00
51	अल्मोड़ा	रा0उ0प्रा0वि0 चम्पाढीगाजा	उच्च प्राथमिक	स्याल्दे	24	178000.00
52	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 कुलान्टेश्वर	प्राथमिक	स्याल्दे	26	178000.00
53	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 गधोली	प्राथमिक	हवालबाग	30	178000.00
54	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 गेवापानी	प्राथमिक	हवालबाग	79	178000.00
55	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 डुंगरलेख	प्राथमिक	भैसियाछाना	26	178000.00
56	अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 थालागूंठ	प्राथमिक	भैसियाछाना	22	178000.00
57	अल्मोड़ा	रा0उ0प्रा0वि0 धनोली	उच्च प्राथमिक	भैसियाछाना	27	178000.00
58	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 चौड़ागूठ	प्राथमिक	पाटी	33	178000.00
59	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 चौड़ारौन	प्राथमिक	पाटी	33	178000.00
60	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 देवीधूरा	प्राथमिक	पाटी	22	178000.00
61	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 डसियाधामी	प्राथमिक	पाटी	25	178000.00
62	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 मछियाण	प्राथमिक	पाटी	25	178000.00
63	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 सेलाबाग	प्राथमिक	पाटी	30	178000.00
64	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 मूलाकोट	प्राथमिक	पाटी	59	178000.00
65	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 मज्याप	प्राथमिक	पाटी	31	178000.00
66	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 पटनगांव	प्राथमिक	पाटी	30	178000.00
67	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 पनिया	प्राथमिक	पाटी	28	178000.00

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 24/03/202

68	चम्पावत	रा०प्रा०वि० डूंगराकोट	प्राथमिक	पाटी	22	178000.00
69	चम्पावत	रा०प्रा०वि० बलियाथानी	प्राथमिक	पाटी	26	178000.00
70	चम्पावत	रा०प्रा०वि० सिरमोली	प्राथमिक	पाटी	25	178000.00
71	चम्पावत	रा०प्रा०वि० मानर	प्राथमिक	पाटी	30	178000.00
72	चम्पावत	रा०प्रा०वि० जनकाण्डे	प्राथमिक	पाटी	27	178000.00
73	चम्पावत	रा०प्रा०वि० पोखरी	प्राथमिक	पाटी	58	178000.00
74	चम्पावत	रा०प्रा०वि० पम्दा	प्राथमिक	बाराकोट	21	178000.00
75	चम्पावत	रा०प्रा०वि० बलियागूठ	प्राथमिक	चम्पावत	30	178000.00
76	चम्पावत	रा०प्रा०वि० बलाई	प्राथमिक	लोहाघाट	22	178000.00
77	टिहरी	रा०प्रा०वि० खेतपाली	प्राथमिक	प्रतापनगर	76	178000.00
78	टिहरी	रा०प्रा०वि० ओनालगांव	प्राथमिक	प्रतापनगर	42	178000.00
79	टिहरी	रा०उ०प्रा०वि० पुजारगांव	उच्च प्राथमिक	प्रतापनगर	24	178000.00
80	टिहरी	रा०प्रा०वि० पुजारगांव मदुरा	प्राथमिक	प्रतापनगर	32	178000.00
81	टिहरी	रा०प्रा०वि० मुखमालगांव	प्राथमिक	प्रतापनगर	62	178000.00
82	टिहरी	रा०उ०प्रा०वि० मैखण्डी	उच्च प्राथमिक	कीर्तिनगर	29	178000.00
83	टिहरी	रा०प्रा०वि० गौंदी कोठार	प्राथमिक	कीर्तिनगर	31	178000.00
84	टिहरी	रा०प्रा०वि० गवाणा	प्राथमिक	कीर्तिनगर	41	178000.00
85	टिहरी	रा०प्रा०वि० नौटी	प्राथमिक	कीर्तिनगर	19	178000.00
86	टिहरी	रा०प्रा०वि० इण्डवालगांव	प्राथमिक	चम्बा	19	178000.00
87	टिहरी	रा०प्रा०वि० बागी बमुण्ड	प्राथमिक	चम्बा	23	178000.00
88	टिहरी	रा०प्रा०वि० जसपुर	प्राथमिक	चम्बा	21	178000.00
89	टिहरी	रा०प्रा०वि० दिगौठी	प्राथमिक	चम्बा	20	178000.00
90	टिहरी	रा०प्रा०वि० जिजली	प्राथमिक	चम्बा	20	178000.00
91	टिहरी	रा०प्रा०वि० चकरेडा	प्राथमिक	भिलंगना	102	178000.00
92	टिहरी	रा०प्रा०वि० म्यार	प्राथमिक	भिलंगना	30	178000.00
93	टिहरी	रा०प्रा०वि० होल्टा	प्राथमिक	भिलंगना	40	178000.00
94	टिहरी	रा०प्रा०वि० कोठार	प्राथमिक	भिलंगना	33	178000.00
95	टिहरी	रा०प्रा०वि० भिराणी	प्राथमिक	थौलधार	21	178000.00
96	उत्तरकाशी	रा०उ०प्रा०वि० खालसी	उच्च प्राथमिक	चिन्यालीसौड	88	178000.00
97	उत्तरकाशी	रा०उ०प्रा०वि० जोगथ तल	उच्च प्राथमिक	चिन्यालीसौड	35	178000.00
98	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० कौटियालगांव	प्राथमिक	भटवाडी	28	178000.00
99	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० ग्वेला ब्रह्मखाल	प्राथमिक	डुण्डा	22	178000.00
100	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० सेम	प्राथमिक	डुण्डा	42	178000.00
101	उत्तरकाशी	रा०उ०प्रा०वि० सिगोट	उच्च प्राथमिक	डुण्डा	21	178000.00
102	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० चकौन	प्राथमिक	डुण्डा	26	178000.00
103	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० दडुंग	प्राथमिक	पुरोला	50	178000.00

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 24/03/

I/109479/2023

104	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० मैराणा	प्राथमिक	पुरोला	22	17800
105	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० डैरिका	प्राथमिक	पुरोला	21	178000.0
106	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० सर बडियार	प्राथमिक	पुरोला	29	178000.00
107	उत्तरकाशी	रा०उ०प्रा०वि० कन्ताड़ी	उच्च प्राथमिक	पुरोला	30	178000.00
108	उत्तरकाशी	रा०क०उ०प्रा०वि० श्रीकोट	उच्च प्राथमिक	पुरोला	28	178000.00
109	उत्तरकाशी	रा०उ०प्रा०वि० डैरिका	उच्च प्राथमिक	पुरोला	30	178000.00
110	उत्तरकाशी	रा०उ०प्रा०वि० पाणीगांव	उच्च प्राथमिक	पुरोला	28	178000.00
111	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० बिणाई	प्राथमिक	पुरोला	20	178000.00
112	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० नेत्री	प्राथमिक	पुरोला	20	178000.00
113	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० पुजेली	प्राथमिक	पुरोला	42	178000.00
114	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० रामा	प्राथमिक	पुरोला	39	178000.00
115	उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० पणीगांव	प्राथमिक	पुरोला	28	178000.00
116	पिथौरागढ	G.P.S.DHARI GAON	प्राथमिक	BIN	37	178000.00
117	पिथौरागढ	GPS DHAPARPATA	प्राथमिक	BIN	37	178000.00
118	पिथौरागढ	GPS LINTHYURA	प्राथमिक	BIN	33	178000.00
119	पिथौरागढ	GPS TILDHUKARI	प्राथमिक	BIN	132	178000.00
120	पिथौरागढ	GP.S.MAANLE	प्राथमिक	MOONAKOT	44	178000.00
121	पिथौरागढ	GPS BAGRIHAT	प्राथमिक	KANALICHHEENA	40	178000.00
122	पिथौरागढ	G.P.S.MODI	प्राथमिक	KANALICHHEENA	33	178000.00
123	पिथौरागढ	रा०पू०मा०वि० दुग्तू	उच्च प्राथमिक	DHARCHULA	26	178000.00
124	पिथौरागढ	रा०प्रा०वि० सेलना	प्राथमिक	DHARCHULA	34	178000.00
125	पिथौरागढ	रा०प्रा०वि० धानीगाँवस्याँकुरी	प्राथमिक	DHARCHULA	29	178000.00
126	पिथौरागढ	रा०प्रा०वि० स्याँकुरी	प्राथमिक	DHARCHULA	33	178000.00
127	पिथौरागढ	रा०प्रा०वि० खेला	प्राथमिक	DHARCHULA	44	178000.00
128	पिथौरागढ	GPS TIKSEN	प्राथमिक	MUNSYARI	62	178000.00
129	पिथौरागढ	GPS SANI GAON	प्राथमिक	BERINAG	34	178000.00
130	पिथौरागढ	GPS RUINATHAL	प्राथमिक	BERINAG	25	178000.00
131	पिथौरागढ	GP.S.GANGOLIHAT	प्राथमिक	GANGOLIHAT	60	178000.00
132	पिथौरागढ	GPS BADENA	प्राथमिक	GANGOLIHAT	42	178000.00
133	पिथौरागढ	GP.S.BATGERI	प्राथमिक	GANGOLIHAT	37	178000.00

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 24/03/20

134	पिथौरागढ	GP.S.DASEELA KHET	प्राथमिक	GANGOLIHAT	49	178000.00
135	पिथौरागढ	G.P.S KUSHMAN	प्राथमिक	GANGOLIHAT	34	178000.00
136	पिथौरागढ	GJHS CHOOIYAR	उच्च प्राथमिक	GANGOLIHAT	57	178000.00
137	पिथौरागढ	GUPS BUJYAR	उच्च प्राथमिक	GANGOLIHAT	31	178000.00
138	पिथौरागढ	GPS DUGAI AGAR	प्राथमिक	GANGOLIHAT	28	178000.00
139	पिथौरागढ	GI.HIGH SCHOOL ROTERA	उच्च प्राथमिक	GANGOLIHAT	28	178000.00
140	पिथौरागढ	GP.S. TUDIL	प्राथमिक	GANGOLIHAT	49	178000.00
141	पिथौरागढ	GJHS POKAHRI	उच्च प्राथमिक	GANGOLIHAT	28	178000.00
142	पिथौरागढ	GP.S.RAM MANDIR	प्राथमिक	GANGOLIHAT	37	178000.00
143	पिथौरागढ	GPS DEVRALA	प्राथमिक	GANGOLIHAT	52	178000.00
144	रूद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० त्रियुगीनारायण	प्राथमिक	ऊखीमठ	32	178000.00
145	रूद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० नाला	प्राथमिक	ऊखीमठ	51	178000.00
146	रूद्रप्रयाग	रा०उ०प्रा०वि०लमगौण्डी	प्राथमिक	ऊखीमठ	34	178000.00
147	रूद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० बैनोली	प्राथमिक	जखोली	34	178000.00
148	रूद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० किरोड़ा मल्ला	प्राथमिक	जखोली	66	178000.00
149	रूद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० सिद्धसौड़	प्राथमिक	जखोली	57	178000.00
150	रूद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० खोड़	प्राथमिक	जखोली	38	178000.00
151	रूद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० बरसिर	प्राथमिक	जखोली	46	178000.00
152	रूद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० चौपडखाल	प्राथमिक	जखोली	66	178000.00
153	रूद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० डांगी	प्राथमिक	जखोली	37	178000.00
154	रूद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० स्यूर बांगर	प्राथमिक	जखोली	43	178000.00
155	रूद्रप्रयाग	रा.प्रा.वि. कान्दी	प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	72	178000.00
156	रूद्रप्रयाग	रा.प्रा.वि. मणिगुह	प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	37	178000.00
157	रूद्रप्रयाग	रा.प्रा.वि. पिल्लू	प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	37	178000.00
158	रूद्रप्रयाग	रा.प्रा.वि. ताली	प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	38	178000.00
159	रूद्रप्रयाग	रा.प्रा.वि. कनेड़ा	प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	31	178000.00
160	रूद्रप्रयाग	रा.प्रा.वि. चौरियों	प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	33	178000.00
161	रूद्रप्रयाग	रा.प्रा.वि. रतूड़ा	प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	37	178000.00
162	रूद्रप्रयाग	रा.प्रा.वि. गांधीपुर	प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	61	178000.00
163	रूद्रप्रयाग	रा.प्रा.वि. कोटी मदोला	प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	32	178000.00
164	रूद्रप्रयाग	रा.प्रा.वि. झुण्डोली	प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	34	178000.00
165	रूद्रप्रयाग	रा.प्रा.वि. बरसूडी	प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	32	178000.00
166	रूद्रप्रयाग	रा.उ.प्रा.वि. कान्दी	उच्च प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	34	178000.00
167	रूद्रप्रयाग	रा.उ.प्रा.वि. बाड़व (उच्छी०)	उच्च प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	44	178000.00
168	रूद्रप्रयाग	रा.उ.प्रा.वि. क्यूजा	उच्च प्राथमिक	अगस्त्यमुनि	41	178000.00
169	चमोली	रा०उ०प्रा०वि० सैनोली	उच्च प्राथमिक	नारायणबगड	35	178000.00

170	चमोली	रा०उ०प्रा०वि० देवीखार खिमोली	उच्च प्राथमिक	नारायणबगड़	87	17800
171	चमोली	रा०उ०प्रा०वि० भटकोट	उच्च प्राथमिक	गैरसैण	91	178000.
172	चमोली	रा०उ०प्रा०वि० दिवालगढ़	उच्च प्राथमिक	गैरसैण	65	178000.00
173	चमोली	रा०उ०प्रा०वि० डांडामज्याडी	उच्च प्राथमिक	गैरसैण	31	178000.00
174	चमोली	रा०क०उ०प्रा०वि० सलियाणा	उच्च प्राथमिक	गैरसैण	37	178000.00
175	चमोली	रा०उ०प्रा०वि० गौल	उच्च प्राथमिक	गैरसैण	36	178000.00
176	चमोली	रा०उ०प्रा०वि० रावनगी	उच्च प्राथमिक	जोशीमठ	33	178000.00
177	चमोली	रा०उ०प्रावि० पाखी	उच्च प्राथमिक	जोशीमठ	35	178000.00
178	चमोली	रा०प्रा०वि० झिझौणी	प्राथमिक	नारायणबगड़	96	178000.00
179	चमोली	रा०प्रा०वि० खैनोली	प्राथमिक	नारायणबगड़	49	178000.00
180	चमोली	रा०प्रा०वि० सीरी	प्राथमिक	नारायणबगड़	31	178000.00
181	चमोली	रा०प्रा०वि० दुबियाणा	प्राथमिक	पोखरी	34	178000.00
182	चमोली	रा०प्रा०वि० बेढ़ीतल्ली	प्राथमिक	गैरसैण	41	178000.00
183	चमोली	रा०प्रा०वि० आरुढाली	प्राथमिक	गैरसैण	35	178000.00
184	चमोली	रा०प्रा०वि० इ रण्डियालतल्ला	प्राथमिक	गैरसैण	69	178000.00
185	चमोली	रा०प्रा०वि० कुंजापानी	प्राथमिक	गैरसैण	36	178000.00
186	चमोली	रा०प्रा०वि० ढांगा	प्राथमिक	गैरसैण	31	178000.00
187	चमोली	रा०प्रा०वि० दुबतोली	प्राथमिक	गैरसैण	36	178000.00
188	चमोली	रा०प्रा०वि० मालई	प्राथमिक	गैरसैण	39	178000.00
189	चमोली	रा०प्रा०वि० चौरासैण	प्राथमिक	गैरसैण	44	178000.00
190	चमोली	रा०प्रा०वि० लडियाटाला	प्राथमिक	गैरसैण	49	178000.00
191	चमोली	रा०प्रा०वि० कल्याणा	प्राथमिक	गैरसैण	37	178000.00
192	चमोली	रा०प्रा०वि० सिराणा	प्राथमिक	गैरसैण	54	178000.00
193	चमोली	रा०प्रा०वि० छिमटा	प्राथमिक	गैरसैण	37	178000.00
194	चमोली	रा०प्रा०वि० सारकोट	प्राथमिक	गैरसैण	99	178000.00
195	चमोली	रा०प्रा०वि० बाजाबजूनिया	प्राथमिक	गैरसैण	38	178000.00
196	चमोली	रा०प्रा०वि० सुगड़	प्राथमिक	गैरसैण	33	178000.00
197	चमोली	रा०प्रा०वि० पुनगांव	प्राथमिक	गैरसैण	35	178000.00
198	चमोली	रा०प्रा०वि० मैहलचौरी	प्राथमिक	गैरसैण	31	178000.00
199	चमोली	रा०प्रा०वि० सलियाणा	प्राथमिक	गैरसैण	61	178000.00
200	चमोली	रा०प्रा०वि० बूंगा	प्राथमिक	गैरसैण	35	178000.00
201	चमोली	रा०प्रा०वि० बैंग	प्राथमिक	जोशीमठ	50	178000.00
202	चमोली	रा०प्रा०वि० चांई	प्राथमिक	जोशीमठ	34	178000.00
203	चमोली	रा०प्रा०वि० उर्गम	प्राथमिक	जोशीमठ	32	178000.00
204	चमोली	रा०प्रा०वि० बमियाला	प्राथमिक	दशोली	37	178000.00
205	चमोली	रा०प्रा०वि० गाँधीनगर	प्राथमिक	कर्णप्रयाग	32	178000.00
					योग	3,59,44,000.00

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -ECT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 24/03/202

अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक– 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–08–विकासखण्ड स्तर पर माडल स्कूल–52–लघु निर्माण मदान्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार आदर्श प्राथ0/आदर्श उच्च प्राथ0	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय की छात्र संख्या	दर
1	चमोली	रा0आ0उ0प्रा0वि0 सल्डूडुग्रा	आदर्श उच्च प्राथमिक	जोशीमठ	80	178000.00
2	चमोली	रा0प्रा0वि0 छिकिया	आदर्श प्राथमिक	गैरसैण	114	178000.00
3	चमोली	रा0प्रा0वि0 फरसाण्डे	आदर्श प्राथमिक	गैरसैण	90	178000.00
4	उत्तरकाशी	रा0 आ0 उ0प्रा0वि0 पिपली	आदर्श उच्च प्राथमिक	डुण्डा	36	178000.00
5	उत्तरकाशी	रा0आ0प्रा0वि0 ढकाड़ा	आदर्श प्राथमिक	पुरोला	36	178000.00
6	रुद्रप्रयाग	रा0आ0प्रा0वि0 खलियान	आदर्श प्राथमिक	जखोली	55	178000.00
7	रुद्रप्रयाग	रा0आ0प्रा0वि0 बुड़ना	आदर्श प्राथमिक	जखोली	81	178000.00
8	पिथौरागढ़	GMPS PANKHU	आदर्श प्राथमिक	BERINAG	48	178000.00
					योग	14,24,000.00
					महायोग	3,73,68,000.00

(रु0 तीन करोड़ तिहत्तर लाख अड़सठ हजार मात्र)

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 24-03-2023 17:58:09
(राजेन्द्र सिंह बोनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 24/03/

संख्याः 154 /XXIV-A-2/2023-14/2020(E-34734)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-02

देहरादून: दिनांकः 24 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में वाहन क्रय किये जाने की अनुमति एवं 28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अर्थ-2/23207/5क(02)/17/2022-23 दिनांक 02 मार्च, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत एक अपर निदेशक एवं दो संयुक्त निदेशक हेतु GeM के माध्यम से कुल 03 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा यूटीलिटी व्हीकल(वर्जन 2) एस०यू०वी० मैनुअल टू व्हील ड्राइव(महिन्द्रा बुलेरो बी 2 बी एस 6) वाहन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए, उक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत-24-शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत में प्राविधानित धनराशि में से संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल धनराशि रू० 5,55,000/- का पुनर्विनियोग 28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय योजना में करते हुए, वाहन क्रय योजनान्तर्गत कुल रू0 23,55,000/-(रू0 तेईस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1 आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी०एम०-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा।

2 उक्त धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए अवमुक्त की जा रही है। अवमुक्त धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जायेगी।

3 स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/सूची तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपद/माहवार विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।

4 आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए, नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 24/03/

I/109474/2023

5 व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022, वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों, एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमवली, 2017 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6 अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक समर्पित कर दिया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अधीन लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय अधिष्ठान के मानक मद 28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या:-I/108913/2023 दिनांक 23 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्न-पुनर्विनियोग/आवंटन आई0डी0।</u>

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 24-03-2023 15:45:26

(रविनाथ रामन)
सचिव।

<u>संख्या: ( )/XXXIV-A-2/23-14/2020, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोष अधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

क्रमशः.........3

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 24/03/202

संख्या– 171 / XXIV(1)-A-2 /2023–25 / 2019 Vol-I

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 23 मार्च, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर राज्य परियोजना निदेशक, पी०एम० पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा०प०का०/1034/एम०डी०एम०–08 (बजट)/ 2022–23 दिनांक 16 मार्च, 2023 एवं अवर सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–1-10/2022-EE-6(PM-POSHAN-3-1)दिनांक 15.03.2023 एवं वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त विभाग(बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–846/बजट/2022–23, दिनांक 21 मार्च, 2023 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के सम्बन्ध में की गयी पुष्टि के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 में केन्द्रांश की धनराशि ₹ 65,63,24,000/– एवं राज्यांश की धनराशि ₹ 6,54,99,000/– इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 72,18,23,000/–(रू० बहत्तर करोड़ अट्ठारह लाख तेईस हजार मात्र) संलग्न **परिशिष्ट**–1/2 में उल्लिखित विवरणानुसार एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय –समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति /सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 23/03/2023 10:07 AM

1/108419/2023

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आंवटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1/2 में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0– 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022 में प्रदत्त दिशा–निर्देशो के कम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः(आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1/2)।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 22-03-2023 13:35:59

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2 /2023-25/2017 भा-1- तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 22/03/2023 10:07 AM

परिशिष्ट–1 / केन्द्रांश

शासनादेश सं0– 171 / XXIV(1)-A-2 / 2023–25/ 2017 Vol-I दिनांक 23 मार्च, 2023 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राविधानित केन्द्रांश	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में पी.एम.पोषण राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90%)		
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	10105.93	4787.88
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(90%)		
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	4520.40	1584.37
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)		
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	403.13	190.99
	कुल योग केन्द्रांश(अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	15029.46	6563.24

(रू0 पैंसठ करोड़ तरेसठ लाख चौबीस हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 23/03/2023 10:08 AM

परिशिष्ट–2/राज्यांश

शासनादेश सं0–171 / XXIV(1)-A-2 / 2023–15/2017 Vol-I दिनांक 23 मार्च, 2023 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राविधानित राज्यांश	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में पी.एम.पोषण राष्ट्रीय कार्यक्रम		
95	केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश		
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90:10)		
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	1500.00	477.82
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में पी.एम.पोषण राष्ट्रीय कार्यक्रम		
95	केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश		
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(10%)		
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	1000.00	158.11
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में पी.एम.पोषण राष्ट्रीय कार्यक्रम		
95	केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश		
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)		
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	208.26	19.06
	कुल योग राज्यांश (अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	2708.26	654.99

(रू0छः करोड़ चौबन लाख निन्यानबे हजार मात्र)

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 22-03-2023 17:14:29
(राजेन्द्र सिंह बोनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 23/03/2023 10:08 AM

संख्याः– 141 /XXIV-A-2 /2023–25 /2007 /Vol-1(E-47168)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड (देहरादून)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग –2 देहरादूनः दिनांकः 24 फरवरी, 2023

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत मोटा अनाज दिये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0पोषण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या– रा0प0का0 / 95 / एम0डी0एम0–08(बजट) / 2022–23 दिनांक 10 फरवरी, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत मोटा अनाज दिये जाने हेतु अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–04– बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु मोटे अनाज की व्यवस्था–56–सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1,00,00,000 / –(रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए, निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार / राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391 / 09(150)2019 / XXVII(1) / 2022, दिनांक 24 जून, 2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों / सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) योजनाओं के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों / आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
(5) आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।
(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

क्रमशः......2

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 24/02/2023 05:45 AM

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत मोटा अनाज दिये जाने हेतु अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-04- बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु मोटे अनाज की व्यवस्था-56-सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-आवंटन आई०डी०।</u>

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 22-02-2023 18:50:22

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:- ( )/XXIV-A-2/2023-25/2007 /Vol-1(E-47168) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड(देहरादून)।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Sudhir Kumar Chaudhary
Date: 23-02-2023 15:57:01

(सुधीर कुमार चौधरी)
उप सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 24/02/2023 09:46 AM

संख्या– 115 /XXIV(1)-A-2/2023-45/2021(E-14855)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 17 फरवरी, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में 52–लघु निर्माण मदान्तर्गत धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/8202/आंगणन शासन/2021–22 दिनांक 30.10.2022 एवं तदोपरान्त जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र सं0–1108/XXVII-02(2020-2021) दिनांक 19 नवम्बर, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सदर्भ में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के **संलग्न परिशिष्ट–1 में** उल्लिखित विभिन्न विद्यालयो से सम्बन्धित निर्माण कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति सहित उक्त कार्यो के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय– 52–लघु निर्माण मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,00,000/– में से धनराशि रू0 82,27,000/–(रू0 बयासी लाख सत्ताईस हजार मात्र) एवं लेखाशीर्षक– 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–08–विकासखण्ड स्तर पर माडल स्कूल–52–लघु निर्माण मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,000/– में से धनराशि रू0 8,62,000/–(रू0 आठ लाख बासठ हजार मात्र), इस प्रकार **कुल धनराशि रू0 90,89,000/–(नब्बे लाख नवासी हजार मात्र)** निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर निर्धारित मानको के अनुसार सक्षम स्तर के अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार स्वीकृत आगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आगणन धनराषि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराषि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त नियमानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओ को ध्यान मे रखते हुए नियमानुसार निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. उक्त निर्माण कार्य में नियमानुसार निर्माण सामग्री को उपयोग मे लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला मे अवश्य करा लिया जाये तथा नियमानुसार विशिष्टियों/मानको के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग मे लायी जाये।
5. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमिता स्वीकार किये जाने योग्य नही होगी।
6. प्रकरण में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
7. विभागाध्यक्ष/सक्षम स्तर पर कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित अनुबन्धित समयसारिणी के अनुसार समयबद्व रूप से पूर्ण कराया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्णित कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही लागत से अधिक धनराषि किसी भी दशा मे अनुमन्य नहीं होगी।

क्रमशः.........2

8. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–391/09(150)2019/ XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/ वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति मे उसे प्रत्येक दशा मे दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय **संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विवरणानुसार** चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय–52–लघु निर्माण एवं 08–विकासखण्ड स्तर पर माडल स्कूल–52–लघु निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0– 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः–परिशिष्ट–1/आंवटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath
Date: 16-02-2023 16:47:22

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः ( )/XXIV-A-2/2023-45/2021(E-14855),तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर, टिहरी गढ़वाल।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), टिहरी गढ़वाल।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

क्रमशः.........3

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 17/02/2023 06:18 PM

परिशिष्ट–1

शासनादेश सं0– 115 /XXIV(1)-A-2 /2023-45/2021(E-14855) दिनांक 17 फरवरी, 2023 का संलग्नक

(धनराशिरु0 लाख में)

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम / विकासखण्ड	कार्य का नाम	जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध कराये जाने आंगणन की लागत	अवमुक्त की जा रही धनराशि
अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक– 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–08–विकासखण्ड स्तर पर माडल स्कूल–52–लघु निर्माण मदान्तर्गत स्वीकृत कार्य				
1	रा0आ0प्रा0वि0 थौलधार, थौलधार	भवन वृहद् मरम्मत	8.62	8.62
		योग	8.62	8.62
अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक– 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय–52–लघु निर्माण मदान्तर्गत स्वीकृत कार्य				
2	रा0प्रा0वि0 जागणी–2, थौलधार	भवन वृहद् मरम्मत	14.64	14.64
3	रा0प्रा0वि0 भल्डियाणा, थौलधार	भवन वृहद् मरम्मत	5.46	5.46
4	रा0प्रा0वि0 ढकरौल, जौनपुर	भवन पुनर्निर्माण	36.31	36.31
5	रा0प्रा0वि0 थत्यूड़, जौनपुर	भवन वृहद् मरम्मत	8.28	8.28
6	रा0प्रा0वि0 त्यूणा, देवप्रयाग	भवन वृहद् मरम्मत	8.76	8.76
7	रा0प्रा0वि0 गुरछोली, कीर्तिनगर	भवन वृहद् मरम्मत	8.82	8.82
		योग	82.27	82.27
		महायोग	90.89	90.89

(रु0 नब्बे लाख नवासी हजार मात्र)

Signed by Yogendra Yadav
Date: 16-02-2023 19:44:57

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 17/02/2023 04:14 PM

संख्याः– 94 /XXIV-A-2/2023–25/2007/Vol-1(E-31850)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड (देहरादून)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग –2 देहरादूनः दिनांकः 10 फरवरी, 2023

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या– रा0प0का0/801/एम0डी0एम0–08(बजट)/2022–23 दिनांक 03 जनवरी, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत कार्यरत 25411 भोजनमाताओं के मानदेय हेतु अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 22,86,99,000/–मात्र(रू0 बाईस करोड़ छियासी लाख निन्यानबे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून,2022 एवं शासनादेश सं0–469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों /सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में यथाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

क्रमशः.....2

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-112-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-02-मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/ मानदेय-42-अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या-I/96834/2023, दिनांक 06 फरवरी, 2023 के द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-आवंटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath
Date: 09-02-2023 12:15:06

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:- ( )/XXIV-A-2/2023-25/2007 /Vol-1(E-31850) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड(देहरादून)।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-NH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 10/02/2023 10:08 AM

संख्या: 89 /XXIV-A-2/2023-37/2021(E-16799)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–02 देहरादून: दिनांक: 08 फरवरी, 2023

विषय:– वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियो हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था योजना मे आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के दृष्टिगत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–2/18931/5फ(02)/17/2022–23 दिनांक 30.12.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 20–विद्यार्थियो को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि मे से संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल धनराशि रु0 1,53,00,000/– का पुनर्विनियोग 13–कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था योजना में करते हुए उक्त योजनान्तर्गत रु0 1,53,00,000/–(रु0 एक करोड़ तरेपन लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1 आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नही किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा।

2 उक्त धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए अवमुक्त की जा रही है। अवमुक्त धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तो में आहरित एवं व्यय की जायेगी।

3 स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/सूची तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपद/माहवार विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।

4 आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल मे निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए, नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

5 व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022, वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमवली, 2017 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6 अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा मे दिनांक 31.03.2023 तक समर्पित कर दिया जायेगा।

क्रमशः.......2

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 08/02/2023 06:06 PM

1/96208/2023 2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–13–कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क द एवं बैग की व्यवस्था–44–सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्याः–1/95252/2023, दिनांक 31 जनवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– पुनर्विनियोग(परिशिष्ट–1)/ॲलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 03-02-2023 13:47:06

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः ( )/XXIV-A-2/2023-27/2021(E-16799),तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोष अधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

क्रमशः......3

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 08/02/2023 06:06 PM

संख्या– 87 /XXIV(1)-A-2 /2023–14 / 2020 टी0सी0(E-41127)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 08 फरवरी 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–2 / 17098 / 5क(02) / 01 / 2022–23, दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 एवं पत्रांक–अर्थ–2 / 19474 / 5क(02) / 01 / 2022–23, दिनांक 10 जनवरी, 2023 के संदर्भ में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा **की संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित मानक मदों/विवरणानुसार योजनान्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 12,50,00,000/–(रू0 बारह करोड़ पचास लाख मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391, दिनांक 24.06.2022 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण / व्यय में निदेशक, प्रा0शि0 द्वारा प्रथम अनुपूरक की स्वीकृतिया निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश सं0–469 / 2022, दिनांक 09.12.2022 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों / आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(6) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(7) आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

क्रमशः.....2

(8) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा की **संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित** मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0– 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022 एवं शासनादेश सं0–469/2022 दिनांक 09.12.2022 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।/परिशिष्ट–1

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 03-02-2023 14:41:52

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2 /2023–14 / 2020टी0सी0(E-41127)तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर कुमार चौधरी)
उप सचिव।

क्रमशः......3

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-HH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 08/02/2023 01:29 PM

संख्या- 298/XXIV-A-2/2022-15/2020टी०सी०/13480

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-02 देहरादून: दिनांक: 16 जनवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में निदेशालय अधिष्ठान योजना में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के दृष्टिगत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अर्थ-2/17109/5क(02)/17/2022-23 दिनांक 09.12.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2202 के अन्तर्गत 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय अधिष्ठान योजना की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 6,75,000/- (रू0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) का संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग करते हुए रू0 6,75,000/-(रू0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी०एम०-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-118 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं प्रस्तर-120 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा।
2. उक्त धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए अवमुक्त की जा रही है। अवमुक्त धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/सूची तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपद/माहवार विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।
4. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए, नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
5. व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022, वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक समर्पित कर दिया जायेगा।

क्रमशः.......2

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 16/01/2023 06:36 PM

Scanned with CamScanner

-2-

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2202 के अन्तर्गत 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय अधिष्ठान की संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित मदों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या:-1/86108/2022, दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 में प्राप्त, उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:- पुनर्विनियोग(परिशिष्ट-1)/ॲलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 13-01-2023 12:55:45

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या: ( )/XXIV-A-2/2022-14/2020(E-13490),तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोष अधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बैनाल)
अनु सचिव।

क्रमश:.....3

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 16/01/2023 04:37 PM

Scanned with CamScanner

संख्या–584/XXIV(1)-A-2/2023–14/2020 T.C(E-41127)

1493
10-01-23

D.D.अर्थ
कृ० तत्काल अग्रेतर कार्यवाही
श्री अशोक जोशी
प्रधान सहायक
10/01/2023
AAO

प्रेषक,

मेजर योगेन्द्र यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 05 जनवरी, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–2/17098/5क(02)/01/2022–23, दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशालय अधिष्ठान मदान्तर्गत 40–मशीन उपकरण, सज्जा एवं संयंत्र योजनान्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित धनराशि रु0 22,66,000/– के सापेक्ष धनराशि **रू0 22,66,000/–(रू0 बाइस लाख छियासठ हजार मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391, दिनांक 24.06.2022 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
(6) आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।
(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 1 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 09/01

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202-01-प्रारम्भिक शिक्षा-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- निदेशालय अधिष्ठान-40-मशीन उपकरण, सज्जा एवं संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24.06.2022 एवं शासनादेश सं0-469/2022 दिनांक 09.12.2022 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Yogendra Yadav
Date: 02-01-2023 18:32:46

(निजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

संख्या- 584()/XXIV(1)-A-2/2023-14/2020 T.C (E-41127)तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बैनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 1 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 03/01/202

संख्या:- 559/XXIV-A-2 /2022-25 / 2007 /Vol-1

1447
24-12-22

DD (अर्थ) F-O (विधि)
डेस्क (अर्थ)
24-12-2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग -2 देहरादून: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2022

विषय: पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत रा०प्रा०, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों मदरसों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं०-पी०एम०पोषण/683/अ०पी०-02A(बजट)/2022-23 दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों मदरसों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु संगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 70.00 करोड़ के सापेक्ष अतिरिक्त पोषण हेतु **रू0 4,68,02,000/-मात्र(रू0 चार करोड़ अड़सठ लाख दो हजार मात्र)** की धनराशि स्वीकृत कर, आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून,2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय -समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

क्रमश:.....2

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 23/12/2022 12:24 PM

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-112-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-02-मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/ मानदेय-42-अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या-1/84047/2022 दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-आवंटन आई0डी0।</u>

Signed by Raman Ravinath
Date: 22-12-2022 15:46:26

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

<u>संख्याः- ( )/XXIV-A-2/2022-25/2007 /Vol-1 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 23/12/2022 12:27 PM

संख्या:– 560/XXIV-A-2/2022–25/2007/Vol-1

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग –2 देहरादूनः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2022

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0– रा0प0का0/659/एम0डी0एम0–08(बजट)/2022–23 दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत कार्यरत 25411 भोजनमाताओं को 02 माह (नवम्बर एवं दिसम्बर, 2022 तक) के मानदेय हेतु संगत मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ,रू0 10,16,44,000/–मात्र(रू0 दस करोड़ सोलह लाख चौवालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून,2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओ का में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे अन्य मद में व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 22/12/2022 05:44 PM

वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/ मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्त अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/84491/ 2022 दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आवंटन आई०डी०।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 21-12-2022 18:51:53

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:– ( )/XXIV-A-2/2022–25/2007 /Vol-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, ARO-MH, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 22/12/2022 05:48 PM

संख्या– 543 / XXIV(1)-A-2 /2022–25 / 2007 Vol-I

1/75862/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड(देहरादून)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: /14 नवम्बर, 2022

विषय: पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं को प्रोत्साहन धनराशि हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा0प0का0 / 498 / एम.डी.एम.–03A(बजट) / 2022–23 दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112– विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02– मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी / मानदेय– 42–अन्य विभागीय व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रु0 70.00 करोड़ के सापेक्ष भोजनमाताओं को प्रोत्साहन धनराशि हेतु रु0 2,50,66,000 / –मात्र(रु0 दो करोड़ पचास लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है–

(1) आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार / राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 391 / 09(150) 2019 / XXVII(1) / 2022, दिनांक 24 जून,2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानो सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों / सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों / आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड सं0–I/75418/2022 दिनांक 10 नवम्बर, 2022 में प्राप्त, सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 11-11-2022 18:54:38

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2 /2022–25 / 2007 Vol-I तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

Signed by Pradeep Joshi
Date: 11-11-2022 18:58:33

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

2\. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3\. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–13–कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था–44–सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड सं0–I/74003/2022, दिनांक 02 नवम्बर, 2022 में प्राप्त सहमति/परामर्श से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 03-11-2022 16:43:59

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV-A-2 /2021-27/2021,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. समस्त मुख्य कोष अधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 483 /XXIV(1)-A-2/2022–25/2007 टीoसीo

I/69214/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड (देहरादून)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2022

विषय: पीoएमo पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, पीoएमo पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–राoपoकाo/446/एम.डी.एम.–08(बजट)/2022–32 दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112– विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02– मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय– 42–अन्य विभागीय व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रुo 70.00 करोड के सापेक्ष भोजनमाताओं के मानदेयं हेतु रुo 25,41,10,000/–मात्र(रुo पच्चीस करोड़ इकतालीस लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है–

(1) आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 391/09(150) 2019/ XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून,2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

क्रमशः.....2

1/69214/2022

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-02-मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय-42-अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड सं0-1/68842/2022 दिनांक <u>07 अक्टूबर, 2022</u> में प्राप्त सहमति/परामर्श से निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नकः आवंटन आई0डी0।</u>

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 07-10-2022 18:58:52

(रविनाथ रामन)
सचिव।

<u>संख्या- ( )/XXIV(1)-A-2 /2022-25/2007टी0सी0 तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

Signed by Pradeep Joshi
Date: 10-10-2022 15:28:55
Reason: Approved

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

1/67101/2022

1080
1-10-22

सं0 467/XXIV-A-2/2022-18/2019टी0सी0

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड (देहरादून)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 29 सितम्बर, 2022

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई चावल (Fortified Food grains) की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवर सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0-F.No.1-10/2022-EE-6(PM POSHAN-3-1)(Part-I) दिनांक 29 अगस्त, 2022 के क्रम में राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र सं0-रा0प0का0/462/एम0डी0एम0-08(बजट)/2022-23 दिनांक 20 सितम्बर, 2022 व वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-582/बजट/2021-22, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के संबंध में की गई पुष्टि के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01- प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान केसापेक्ष अनुदान संख्या-11 में ₹ 12,14,000/- मात्र ,अनुदान संख्या-30 में ₹ 4,01,000/- मात्र एवं अनुदान संख्या-31 में ₹49,000/- मात्र, इस प्रकार केन्द्रांश की **कुल ₹ 16,64,000/-(रू0 सोलह लाख चौसठ हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0 391 दिनांक 24 जून, 2022 अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

क्रमशः 2

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक व्ययाधिक्य एवं बचतों का विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिए जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 01-प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90 प्रतिशत) के मानक मद 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) से संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून 2022 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 29-09-2022 12:59:23

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या- ( )/ /XXIV-A-2/2022-18/2019टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

Signed by Pradeep Joshi
Date: 29-09-2022 13:35:56

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

999
21-9-22

संख्या: 437/XXIV-A-2/2022-18/2019 टी0सी0

1/64750/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 21 सितम्बर, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022-23 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत केन्द्रांश की प्रथम किश्त तथा राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या-रा0प0का0 /450/एम0डी0एम0-08(बजट)/2022-23 दिनांक 15 सितम्बर, 2022 एवं अवर सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या- 1-10/2022-EE-6(PM POSHAN-3-1) दिनांक 14 सितम्बर, 2022 एवं केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के संबंध में वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 581/बजट/2021-22, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 द्वारा की गई पुष्टि के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-11, 30 एवं 31 में **संलग्न परिशिष्ट-1** में उल्लिखित विवरणानुसार केन्द्रांश एवं उक्त के सापेक्ष राज्यांश की **कुल ₹ 54,90,93,000/-(चौवन करोड़ नब्बे लाख तिरानबे हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0 391 दिनांक 24 जून, 2022 अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं, का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

क्रमशः.....2

I/64750/2022

02- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्नक परिशिष्ट-1** में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एंव परिशिष्ट-1)।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 20-09-2022 16:48:12

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः- ()/XXIV-A-2/2022-18/2019 टी0सी0तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक,पी0एम0पोषण योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

153/2022

संख्या– 433 /XXIV(1)-A-2 /2022-14/2020

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, (देहरादून)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 21 सितम्बर, 2022

विषयः प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–अर्थ–2/5770/5क(02)/01/2022–23, दिनांक 04 जुलाई, 2022 एवं पत्र सं0–नियोजन(04)/10495/बजट/2022–23, दिनांक 30.08.2022 के संदर्भ में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विभिन्न योजनाओं की 51–अनुरक्षण मदान्तर्गत** प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि **रू0 15,20,00,000/–(रू0 पन्द्रह करोड़ बीस लाख मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) कार्यों के सापेक्ष धनराशि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही अवमुक्त की जायेगी। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय –समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिन कार्यों के सापेक्ष धनावंटन किया जाना है, के टी0ए0सी0 द्वारा नियमानुसार परीक्षित आगणन अनिवार्य रुप से प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व विगत पांच वर्षों में उक्त कराये जाने वाले के सापेक्ष यदि किसी अन्य मद से धनराशि प्राप्त हुई हो, तो उक्त की सूचना अनिवार्य रुप से प्राप्त की जायेगी, ताकि धनावंटन में डुप्लीकेसी न हो। अवमुक्त धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की सूची भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्य से पूर्व एवं कार्य होने के उपरान्त के स्पष्ट फोटोग्राफ्स अनिवार्य रुप से प्राप्त कर लिये जायेंगे, जिससे कार्य की वास्तविक आवश्यकता ज्ञात हो सकें।

(5) योजनाओं के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(7) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

क्रमशः.....2

5153/2022

(8) आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(9) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(10) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अधीन लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित प्राथमिक मदों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 21-09-2022 16:57:58

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या- ( )/XXIV(1)-A-2/2022-14/2020, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

Signed by Pradeep Joshi
Date: 21-09-2022 17:05:39

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

क्रमशः.....3

/.5153/2022

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्या–1133 /XXIV(1)-A-2/2022-14/2020 दिनांक 21 सितम्बर, 2022 का संलग्नक

(धनराशि रू0 में)

योजना का विवरण (अनुदान सं0–11– लेखाशीर्षक– 2202– सामान्य शिक्षा– 01– प्रारम्भिक शिक्षा– 101– राजकीय प्राथमिक विद्यालय)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध बजट प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
08–विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल 51–अनुरक्षण	20,00,000	20,00,000
12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास 51–अनुरक्षण	15,00,00,000	15,00,00,000
योग	**15,20,00,000**	**15,20,00,000**

(रू0 पन्द्रह करोड़ बीस लाख मात्र)

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

1/61900/2022 प्रेषक,

968
14/9/2022

संख्या– 420 /XXIV(1)-A-2 /2022-22/2012

D.D. अर्थ
कृ० अग्रेतर कार्यवाही
14/9/22

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

14/09/2022
A.A.O

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 8 सितम्बर, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में एजूकेशन पोर्टल योजनान्तर्गत धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–2/5क(02)/10503/01/2022–23, दिनांक 30 अगस्त, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11–लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन 02–एजूकेशन पोर्टल योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विवरणानुसार** कुल धनराशि **रू0 12,25,000/–(रू0 बारह लाख पच्चीस हजार मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून,2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

1/61900/2022

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अधीन लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-106-अध्यापक और अन्य सेवायें-02-एजूकेशन पोर्टल योजना के **संलग्न परिशिष्ट-1** में उल्लिखित मदों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक: आवंटन आई0डी0।</u>

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 08-09-2022 16:44:57

(रविनाथ रामन)
सचिव।

<u>संख्या- ( )/XXIV(1)-A-2/2022-22/2012, तद्दिनाँक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–1

1/61900/2022

शासनादेश संख्या– 420 / XXIV(1)-A-2/2022-22/2012 दिनांक 8 सितम्बर, 2022 का संलग्नक

(धनराशि रू0 में)

योजना का विवरण (लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–106–अध्यापक और अन्य सेवायें–02–एजूकेशन पोर्टल योजना)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध बजट प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	2,00,000	2,00,000
27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,00,000	10,00,000
40–मशीन सज्जा, उपकरण और संयत्र	25,000	25,000
योग	12,25,000	12,25,000

(रू0 बारह लाख पच्चीस हजार मात्र)

Signed by Pradeep Joshi
Date: 08-09-2022 18:38:12

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

931
07-9-22

संख्या- 351 /XXIV-A-2/2022-14/2020

I/59806/2022 प्रेषक,

मेजर योगेन्द्र यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 **देहरादून: दिनांक 06 अगस्त, 2022**

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र सं0-अर्थ-2/7819/5क(02)/06/2022-23, दिनांक 26 जुलाई, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन 02-सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता-05-वेतन, भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष **धनराशि रू0 833333.00 हजार (रू0 तिरासी करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)** शासनादेश सं0-116/XXIV(1)-A-2/2022-14/2020 टी0सी0, दिनांक 27.04.2022 एवं शासनादेश सं0-158/XXIV(1)-A-2/2022-14/2020 टी0सी0 दिनांक 29 जून, 2022 में उल्लिखित व निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए, नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
2. व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-391 दिनांक 24.06.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमवली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-07-विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता-02- सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता-05-वेतन, भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड सं0:- I/59509/2022 दिनांक 30 अगस्त, 2022 में प्राप्त, उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

Signed by Yogendra Yadav
Date: 31-08-2022 17:39:20

भवदीय,

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

क्रमशः.........2

1/59806/2022

संख्या– 251 ( )/XXIV(ख)-A-2 /2022–14/2020 6/9/22 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Joshi
Date: 06-09-2022 13:54:16

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

901
02-9-22

संख्या– 361 /XXIV(1)-A-2/2022-34/2010 टी0सी0

उप निदेशक
नि0प्रा0

1/5951/7/2022

प्रेषक,

मेजर योगेन्द्र यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2/9/2022

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 31 अगस्त,2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र सं0–अर्थ–2/5770/5क(02)/01/2022–23 दिनांक 04 जुलाई, 2022 एवं पत्र संख्या–अकादमिक(04)/8539/डी0बी0टी0/2022–23, दिनांक 02 अगस्त, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता– 20–विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रु0 9,80,00,000/– के सापेक्ष धनराशि रू0 **9,80,00,000/–(रू0 नौ करोड़ अस्सी लाख मात्र)** निम्न, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 391/08(180)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून,2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय –समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजना के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

क्रमशः.....2

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अधीन लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता- 20-विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठय पुस्तक का वितरण-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशो के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Yogendra Yadav
Date: 30-08-2022 17:44:42

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

संख्या- / XXIV-1A-2 /2022-34/2010 टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Joshi
Date: 31-08-2022 11:36:43
Reason: Approved

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या– /XXIV( )-A-2/2022-14/2020

प्रेषक,

मेजर योगेन्द्र यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक: 23 अगस्त, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–2/5770/5क(02)/01/2022–23, दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विभिन्न योजनाओं/मदों के अन्तर्गत** प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि **रू0 32,05,00,000/–(रू0 बत्तीस करोड़ पाँच लाख मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून,2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय –समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

क्रमशः...2

I/56783/2022

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अधीन लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित प्राथमिक मदों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशो के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Yogendra Yadav
Date: 17-08-2022 19:04:28

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

संख्या-218 ()/XXIV/-A-2/2022-14/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

क्रमशः....3

283/2022

शासनादेश संख्या–918 /XXIV(1)-A-2/2022-14/2020 दिनांक22 जुलाई, 2022 का संलग्नक परिशिष्ट–1

(धनराशि रू0 में)

योजना का विवरण (अनुदान सं0–11–लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध बजट प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
07– खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 42– अन्य विभागीय व्यय	70,00,000	70,00,000
08–विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल 20–लेखन सामग्री एवं छपाई	80,00,000	80,00,000
08–विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल 21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,00,000	10,00,000
08–विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	80,00,000	80,00,000
08–विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल 26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	50,00,000	50,00,000
08–विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल 42–अन्य विभागीय व्यय	15,00,000	15,00,000
12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास 21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6,00,00,000	6,00,00,000
12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास 26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	23,00,00,000	23,00,00,000
योग	32,05,00,000	32,05,00,000

(रू0 बत्तीस करोड़ पाँच लाख मात्र)

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

582
4-8-22

I/54364/2022

संख्या– 211 /XXIV(1)-A-2 /2022–26 / 2007 टी०सी०

प्रेषक,

मेजर योगेन्द्र यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 01 /जुलाई,2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में पी०एम०पोषण योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों मदरसों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया राज्य परियोजना निदेशक, पी०एम० पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा०प०का०/221/अ०पो०–02ए(बजट)/2022–23 दिनांक 29 जून, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में पी०एम०पोषण योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों मदरसों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक, 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112– विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02– मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय– 42–अन्य विभागीय व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रु० 70.00 करोड़ के सापेक्ष भोजनमाताओं के मानदेय हेतु **रू० 668.59 लाख(रू० छः करोड़ अड़सठ लाख उनसठ हजार मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून,2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय –समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

1/54364/2022

02– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

03– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जेनेरेटड सं0– I/53538/2022 दिनांक 29 जुलाई, 2022 में प्राप्त सहमति/परामर्श से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Yogendra Yadav
Date: 03-08-2022 13:54:33
(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2/2022–25/2007टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

583
4-8-22

संख्या– 199 /XXIV(1)-A-2/2022-25/2007 टी०सी०

1/54369/2022

प्रेषक,

मेजर योगेन्द्र यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

D.D अर्थ
कृ० अग्रेत्तर कार्यवाही

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड(देहरादून)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 04 अगस्त, 2022

विषय: भोजनमाताओं के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, पी०एन० पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा०प०का०/214/पीएम–पोषण–08(बजट)/2021–22, दिनांक 24 जून, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112– विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02– मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय– 42–अन्य विभागीय व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रु0 70.00 करोड़ के सापेक्ष भोजनमाताओं के मानदेय हेतु रु0 1779.87 लाख(रु0 सत्रह करोड़ उन्यासी लाख सतासी हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 391/09(150) 2019/ XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून,2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायें।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

I/54369/2022

03– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड सं0– I/54045/2022 दिनांक 02 अगस्त, 2022 में प्राप्त, सहमति/परामर्श से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Yogendra Yadav
Date: 03-08-2022 14:08:18

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2 /2022–25 / 2007टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

५५८
08/7/22

/47811/2022

2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट-1** में उल्लिखित व्यौरेवार शीर्षक /सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-391/9(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 के द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:(आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट-1)।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 06-07-2022 11:33:22 (रविनाथ रमन)
सचिव।

संख्या- 2021)/XXIV(1)-A-2 /2022-14/2020. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

811/2022

परिशिष्ट-1

शासनादेश संख्या-202/XXIV(1)-A-2 /2022-14/2020, दिनांक 07 जून, 2022 का संलग्नक

(धनराशि रु0 हजार में)

अनुदान संख्या-11				
लेखा शीर्षक	योजना का नाम एवं मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि	लेखानुदान आय-व्ययक के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि
राजस्व लेखा				
2202-	सामान्य शिक्षा			
01-	प्रारम्भिक शिक्षा			
001-	निदेशन तथा प्रशासन			
03-	निदेशालय अधिष्ठान			
	01 वेतन	33800	11267	22533
	02 मजदूरी	50	17	33
	03 महगाई भत्ता	13500	4500	9000
	04 यात्रा भत्ता	300	100	200
	06 अन्य भत्ते	3800	1267	2533
	07 मानदेय	50	0	50
	08 पारिश्रमिक	450	150	300
	09 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	125	0	125
	11 अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	100	0	100
	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	300	100	200
	22 कार्यालय व्यय	300	100	200
	24 विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	200	0	200
	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	400	133	267
	26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	300	100	200
	27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1200	400	800
	29 गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	800	267	533
	30 आतिथ्य व्यय	75	0	75
	40 मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	200	0	200
	42 अन्य विभागीय व्यय	300	0	300
	योग (03- निदेशालय अधिष्ठान)	56250	18401	37849
101-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
04-	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय			
	01 वेतन	19679200	6559733	13119467
	03 महगाई भत्ता	7871700	2623900	5247800
	04 यात्रा भत्ता	400	0	400
	06 अन्य भत्ते	2164800	721600	1443200
	09 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	18000	500	17500
	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	950	317	633
	22 कार्यालय व्यय	950	317	633
	23 किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	500	0	500
	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	30000	10000	20000
	27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1900	633	1267
	42 अन्य विभागीय व्यय	475	0	475
	योग (04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय)	29768875	9917000	19851875
102-	अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
14-	सहायता प्राप्त उच्चमा0 वि0 से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग को			

I/47811/2022

	सहायक अनुदान			
	05 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	80000	26667	53333
	योग (14–सहायता प्राप्त उ०मा० वि० से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान)	80000	26667	53333
16–	शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान			
	08 पारिश्रमिक	116600	34200	82400
	योग (16–शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान)	116600	34200	82400
104–	निरीक्षण			
03–	क्षेत्रीय निरीक्षण			
	01 वेतन	99700	33233	66467
	03 महंगाई भत्ता	39900	13300	26600
	04 यात्रा भत्ता	750	250	500
	06 अन्य भत्ते	11000	3667	7333
	09 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	400	0	400
	11 अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	150	0	150
	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	785	262	523
	21 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	750	250	500
	22 कार्यालय व्यय	1500	500	1000
	24 विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	1500	500	1000
	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	800	267	533
	26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	750	250	500
	27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000	333	667
	29 गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	600	200	400
	40 मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	750	0	750
	42 अन्य विभागीय व्यय	300	0	300
	51 अनुरक्षण	1050	0	1050
	योग (03–क्षेत्रीय निरीक्षण)	161685	53012	108673
05–	विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना			
	01 वेतन	269000	89667	179333
	03 महंगाई भत्ता	107600	35867	71733
	04 यात्रा भत्ता	1900	633	1267
	06 अन्य भत्ते	29600	9867	19733
	09 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1000	0	1000
	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	1900	633	1267
	21 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2000	667	1333
	22 कार्यालय व्यय	1900	633	1267
	23 किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	500	0	500
	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	1900	633	1267
	26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	2250	750	1500
	27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2500	833	1667
	40 मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	2500	0	2500
	42 अन्य विभागीय व्यय	200	0	200
	51 अनुरक्षण	950	0	950
	योग (05–विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना)	426700	140183	286517
	महायोग प्रारम्भिक शिक्षा	30609110	10189463	20419647

(रु० बीस अरब इकतालीस करोड़ छियानबे लाख सैंतालिस हजार मात्र)

(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– 198 /XXIV—-A-2 /2022–18 /2019 टी0सी0

1/47808/2022

प्रेषक,

रविनाथ रमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 27 जून, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा0प0का0/214/पीएम–पोषण–08(बजट)/2021–22 दिनांक 24 जून, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम –01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–01 01–प्राईमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम) (90%)–56 सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 61.52 लाख (रु0 इकसठ लाख बावन हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून,2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय –समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

1/47808/2022

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–01 01–प्राईमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम) (90 प्रतिशत)–56 सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–391 / 09(150)2019 / XXVII(1) / 2022, दिनांक 24 जून,2022 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशो के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 06-07-2022 11:22:38
(रविनाथ रमन)
सचिव।

संख्या– / XXIV –A-2 / 2022–18 / 2019 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 158 /XXIV(1)–A-2/2022–14/2020 टी0सी0

I, 5951/2022

प्रेषक,

रविनाथ रमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक: 29 जून, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में लेखानुदान के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र सं0–अर्थ–2/2376/5क(02)/06/2022–23, दिनांक 10 मई, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन 02–सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–05–वेतन, भत्तें आदि के लिए सहायक अनुदान मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 416667.00 हजार के सापेक्ष अवशेष **धनराशि रु0 216667.00 हजार (रु0 इक्कीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)** शासनादेश सं0–116/XXIV(1)-A-2/2022–14/2020 टी0सी0, दिनांक 27.04.2022 में उल्लिखित व निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. उक्त धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए, नियमित रुप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
2. व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–238 दिनांक 04.04.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमवली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखाअनुदान आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–02–सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–05–वेतन, भत्तें आदि के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0:–I/43060/2022 दिनांक 15 जून, 2022 में प्राप्त, उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः आवंटन आई0डी0।

भवदीय,
Signed by Raman Ravinath
Date: 29-06-2022 12:10:34
(रविनाथ रमन)
सचिव।

क्रमशः........2

I/45951/2022 **संख्या– / XXIV –A-2 /2022–14 / 2020. टी०सी० तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा०शि०, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 116 /XXIV(1)-A-2 /2022–14 / 2020 टी0सी0

1/31425/2022

प्रेषक,

रविनाथ रमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 27 अप्रैल, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022–23 में लेखानुदान के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–2 / 336 / 5क(02) / 01 / 2022–23, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0 / नर्सरी विद्यालयों को सहायता–02–सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0 / नर्सरी विद्यालयों को सहायता–05–वेतन, भत्तें आदि के लिए सहायक अनुदान मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 416667.00 हजार के सापेक्ष कुल **धनराशि रु0 200000.00 हजार (रु0 बीस करोड़ मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–236, दिनांक 04.04.2022 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों / आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।
(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
(8) मानक मद–01–वेतन, 03–महंगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।
(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखाअनुदान आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–अराजकीय प्राथमिक विद्य

ालयों को सहायता–07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0 / नर्सरी
I/31425/2022को सहायता– 02–सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0 / नर्सरी विद्याल
सहायता–05–वेतन, भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0:–I/29778/2022, दिनांक 18 अप्रैल, 2022 प्राप्त, उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath
Date: 26-04-2022 18:55:36

भवदीय,

(रविनाथ रमन)
सचिव।

संख्या– 116 ( )/XXIV(1)-A-2 /2022–14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या– 123 /XXIV(1)-A-2 /2022–18 / 2019 टी0सी0

I/31404/2022

प्रेषक,

रविनाथ रमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 **देहरादून: दिनांक: 27 अप्रैल, 2022**

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत लेखानुदान आय–व्ययक 2022–23 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा0प0का0 / 16 / एम0डी0एम0–08 (बजट) / 2021–22 दिनांक 12 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या–रा0प0का0 / 30 / एम0डी0एम0–08 (बजट) / 2021–22 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत लेखानुदान आय–व्ययक 2022–23 में प्राविधानित केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष **संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान सं0–11 एवं 30 के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि रू0 763.74 लाख एवं अनुदान सं0–30 के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू0 1114.72 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1878.46 लाख (रू0 अठ्ठारह करोड़ अठ्ठहत्तर लाख छियालिस हजार मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार / राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 236 / XXVII(1) / 2022 / 19(150)2019, दिनांक 04 अप्रैल, 2022, अधिप्राप्ति नियमावली,2017 यथा संशोधित नियमावली,2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय –समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों / सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों / आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

I/31404/2022

02— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के संख्या–11, एवं 30 के लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–236/XXVII(1)/2022/19(150)2019, दि. ।क अप्रैल, 2022, में प्रदत्त दिशा–निर्देशो के कम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः(आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1)।

Signed by Raman Ravinath
Date: 26-04-2022 18:17:02

भवदीय,

(रविनाथ रमन)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2 /2022–18/2019 टी0सी0 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

परिशिष्ट–1

I/31404/2022 शासनादेश सं0–123 /XXIV(1)-A-2 /2022–18 /2019 टी0सी0दिनांक 27 मार्च, 2022 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक		लेखानुदान आयव्ययक 2022–23 में प्राविधानित राज्यांश	वर्तमान में अवमुक्त किया जा रहा राज्यांश
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम		
95	केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश		
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90:10)		
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	1000.00	573.85
	योग अनुदान सं0–11(राज्यांश)	1000.00	573.85
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम		
95	केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश		
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 10%)		
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	333.33	189.89
	योग अनुदान सं0–30(राज्यांश)	333.33	189.89
	योग अनुदान सं0–11 व 30(राज्यांश)	1333.33	763.74
लेखाशीर्षक		लेखानुदान आयव्ययक 2022–23 में प्राविधानित केन्द्रांश	वर्तमान में अवमुक्त किया जा रहा केन्द्रांश
अनुदान संख्या–30			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)90%		
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	1114.72	1114.72
	योग अनुदान सं0–30(केन्द्रांश)	1114.72	1114.72
	महायोग अनुदान सं0–11 व 30(राज्यांश एवं केन्द्रांश)	2448.05	1878.46

(रु0 अट्ठारह करोड़ अट्ठहत्तर लाख छियालिस हजार मात्र)

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या– 124 /XXIV(1)-A-2/2022-14/2020 टी0सी0

1/29102/2022

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक: 18 अप्रैल, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–2/336/5क(02)/01/2022–23, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **संलग्न परिशिष्ट–1** में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202– 01–प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत क्रमशः 03–निदेशालय अधिष्ठान योजना में धनराशि रु0 1367.00 हजार, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत धनराशि रु0 11767.00 हजार, 104–निरीक्षण–03–क्षेत्रीय निरीक्षण योजनान्तर्गत धनराशि रु0 2812.00 हजार एवं 05–विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना योजनान्तर्गत धनराशि रु0 4782.00 हजार, इस प्रकार कुल धनराशि रु0 20728.00 हजार (रु0 दो करोड़ सात लाख अट्ठाईस हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–236, दिनांक 04.04.2022 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशो के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखाअनुदान आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट–1** में उल्लिखित व्यौरेवार शीर्षक /सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–236 / XXVII(1) / 2022 / 19(150)201
1/29102/2022 04 अप्रैल, 2022 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1)।

भवदीय,

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 12-04-2022 18:34:01
(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या– ( ) / XXIV(1)-A-2 /2022–14 / 2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

परिशिष्ट–1

22 शासनादेश संख्या– 124 /XXIV(1)-A-2 /2022–14 / 2020 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 का संलग्नक

अनुदान सं0–11 (धनराशि रु0 हजार में)

लेखशीर्षक, योजना का नाम एवं मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022–23 में लेखानुदान के माध्यम से बजट प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा		
001–निदेशन तथा प्रशासन 03–निदेशालय अधिष्ठान		
02 मजदूरी	17	17
04 यात्रा भत्ता	100	100
08 पारिश्रमिक	150	150
20 लेखन सामग्री एवं छपाई	100	100
22 कार्यालय व्यय	100	100
25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	133	133
26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	100	100
27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	400	400
29 गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	267	267
योग(03– निदेशालय अधिष्ठान)	1367	1367
101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय		
09 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	500	500
20 लेखन सामग्री एवं छपाई	317	317
22 कार्यालय व्यय	317	317
25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	10000	10000
27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	633	633
योग (04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय)	11767	11767
104–निरीक्षण–03–क्षेत्रीय निरीक्षण		
04 यात्रा भत्ता	250	250
20 लेखन सामग्री एवं छपाई	262	262
21 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	250	250
22 कार्यालय व्यय	500	500
24 विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	500	500
25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	267	267
26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	250	250
27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	333	333
29 गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	200	200
योग (03–क्षेत्रीय निरीक्षण)	2812	2812
05–विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना		
04 यात्रा भत्ता	633	633
20 लेखन सामग्री एवं छपाई	633	633
21 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	667	667
22 कार्यालय व्यय	633	633
25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	633	633
26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	750	750
27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	833	833
योग 05 (विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की	4782	4782

संख्या– 115 /XXIV(1)-A-2/2022–14/2020

1/28773/2022

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 12 अप्रैल, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–2/336/5क(02)/01/2022–23, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **संलग्न परिशिष्ट–1** में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202– 01–प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत क्रमश: 03–निदेशालय अधिष्ठान योजना में धनराशि रु0 17034.00 हजार, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत धनराशि रु0 9905233.00 हजार, 14–सहायता प्राप्त उ0मा0वि0 से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान योजनान्तर्गत धनराशि रु0 26667.00 हजार, 18– शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान योजनान्तर्गत धनराशि रु0 34200.00 हजार, 104–निरीक्षण–03–क्षेत्रीय निरीक्षण योजनान्तर्गत धनराशि रु0 50200.00 हजार एवं 05–विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना योजनान्तर्गत धनराशि रु0 135401.00 हजार, इस प्रकार कुल **रु0 10168735.00 हजार (रु0 दस अरब सोलह करोड़ सतासी लाख पैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–236, दिनांक 04.04.2022 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्तों से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखाअनुदान आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट–1** में उल्लिखित मदवार शीर्षक /सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

1/28773/2022

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–236/XXVII(1)/2022/9(150)2019, दिनांक 04 अप्रैल, 2022 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः(आवंटन आई०डी० एवं परिशिष्ट–1)।

भवदीय,

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 11-04-2022 17:21:14

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2 /2022–14 / 2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा०शि०, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

परिशिष्ट–1

1/28773/2022 शासनादेश संख्या– 115 /XXIV(1)-A-2 /2022–14 /2020, दिनांक/2अप्रैल, 2022 का संलग्नक

(धनराशि रू0 हजार में)

अनुदान संख्या–11			
लेखा शीर्षक	योजना का नाम एवं मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022–23 में लेखानुदान के माध्यम से बजट प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
राजस्व लेखा			
2202–	सामान्य शिक्षा		
01–	प्रारम्भिक शिक्षा		
001–	निदेशन तथा प्रशासन		
03–	निदेशालय अधिष्ठान		
	01 वेतन	11267	11267
	03 महगाई भत्ता	4500	4500
	06 अन्य भत्ते	1267	1267
	योग(03– निदेशालय अधिष्ठान)	17034	17034
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
04–	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय		
	01 वेतन	6559733	6559733
	03 महगाई भत्ता	2623900	2623900
	06 अन्य भत्ते	721600	721600
	योग (04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय)	9905233	9905233
102–	अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता		
14–	सहायता प्राप्त चलचित्र वि० से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान		
	05 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	26667	26667
	योग(14– सहायता प्राप्त चलचित्र वि० से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान)	26667	26667
18–	शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान		
	08 पारिश्रमिक	34200	34200
	योग–18 (शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान)	34200	34200
104–	निरीक्षण		
03–	क्षेत्रीय निरीक्षण		
	01 वेतन	33233	33233
	03 महगाई भत्ता	13300	13300
	06 अन्य भत्ते	3667	3667
	योग (03–क्षेत्रीय निरीक्षण)	50200	50200
05–	विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना		
	01 वेतन	89667	89667
	03 महगाई भत्ता	35867	35867
	06 अन्य भत्ते	9867	9867
	योग 05 (विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना)	135401	135401
	महायोग प्रारम्भिक शिक्षा	10168735	10168735

(रू0 दस अरब सोलह करोड़ सतासी लाख पैंतीस हजार मात्र)

(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।